

No:- 375/A/22/12/HQ/Reports/2022-Admin

Date:-15-02-2025

<u>Circular</u>

Subject: <u>Willingness of Medical Officers (Specialists/GDMOs with PG</u> <u>Qualifications) for additional designation as teaching faculty at proposed ESIC</u> <u>Medical Colleges.</u>

Reference is invited to ESIC Headquarters Circular No:- A-45012/1/2025-MED-VI dated 11/02/2025 on the above cited subject.

In this regard willingness in invited from all the regular and eligible Medical Officers (Specialist/ GDMOs with PG Qualifications) to be additionally designated as teaching faculty as per TEQ 2022 (attached) for the newly proposed ESIC Medical Colleges as per prescribed format enclosed with the Hqrs Circular. Willing and eligible Medical Officers may download the complete circular along with other attached formats from the ESIC Hqrs website or contact Sh. Anand Pillai, Assistant.

As for the guidelines to apply, it is informed that all columns are to be filled completely and no column should be left blank. Proforma – Application, Excel Sheets and Affidavit (duly notarized) along with all enclosures as per the checklist is to be filled and forwarded to ESIC Hqrs.

The last date to fill in the applications with all the attachments and submitting it in the <u>Administration Branch is 17.02.2025</u>. It is informed that no incomplete applications will be entertained after the due date.

This issues with the approval of the Medical Superintendent.

Enclosed : As above.

(Prabhat Dua)

Assistant Director (Administration)



File No.- A-45012/1/2025-MED-VI



मुख्यालय/HEADQUARTERS पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-02 <u>Panchdeep</u> Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 02 Phone: 011-23215488, VOIP: 10011074 Email: <u>med6-hq@esic.njc.in</u> Website: <u>www.esic.nic.in</u>

Date - .02.2025

<u>Circular</u>

Subject: Willingness of Medical Officers (Specialists/GDMOs with PG Qualifications) for additional designation as teaching faculty at proposed ESIC Medical Colleges.

With reference to above cited subject, all the Controlling Officers are requested to obtain willingnes from all the regular and eligible Medical Officers (Specialist/ GDMOs with PG Qualifications) to be additionally designated as teaching faculty as per TEQ 2022(attached) for the newly proposed ESIC Medical Colleges as per enclosed prescribed format i.e. Proforma – Application, Excel Sheets and Affidavit. All columns should be filled completely and no column should be left blank. Proforma – Application, Excel Sheets and Affidavit (duly notarized) along with all enclosures as per the checklist should be sent via email to **medadmin-hq@esic.gov.in** on or before **19.02.2025**.

It is informed that **no applications will be entertained after the due date**.

This issues with the approval of the Competent Authority

Enclosed : As above.

Assistant Director (Medical Administration)

सेवा मे ,

- 1. सभी संबंधित बीमा आयुक्त/ चिकित्सा आयुक्त/क. रा. बि. निगम मुख्यालय। All concerned Insurance Commissioner / Medical Commissioner/ESIC Hqrs.
- 2. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त / आंचलिक चिकित्सा आयुक्त / क.रा.बि.निगम। All Zonal Insurance Commissioner/Zonal Medical Commissioner/ ESIC.
- 3. सभी क्षेत्रीय निदेशक/उप-निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय। All Regional Director, Regional Office/Deputy Director In-charge, Sub Regional Office.
- सभी क. रा. वि. नि. मेडिकल कॉलेज के डीन चिकित्सा अधीक्षक / उप-चिकित्सा अधीक्षक/सहायक चिकित्सा अधीक्षक / डीडीएफ। All ESIC hospitals/Dean of ESIC Medical/Medical Superintendent, Deputy Medical Superintendent/Assistant Medical Superintendent/DDF.
- 5. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली / निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा। Directorate (Medical)/Directorate Delhi (Medical) Noida.
- 6. मुख्यालय के सभी प्रभाग। All Divisions at ESIC Headquarters'

- चिकित्सा शाखा-4/ चिकित्सा (शिक्षा) शाखा, ए. रा. बीएससी निगमित मुख्यालय। चिकित्सा शाखा-IV/चिकित्सा (शिक्षा) शाखा ईएसआईसी मुख्यालय। Medical branch-IV/Medical (Education) branch ESIC Hqrs.
- 8. वेबसाईट कंटेन्ट मैनेजर, को अपलोड करने हेतु Website content manager ESIC Hqrs, to upload on ESIC Hqrs, website.
- 9. गार्ड फाइल | Guard File.

Instruction for filling the Proforma:
1. All columns of this should be duily filled. No column should be left blank. If no information is to be gived either write NIL or N.A.
2. Please do not change later any column ("now of the proforma.
3. The proform aneeds to be filled in EXCEL and also take path print out. Attach this pdf also with signature of Candidate and Controlling Authority.
4. Candidate are assume that no information provided in this take is false. Takey for any column action as determined the shall be understated and any of the state and the s

Proforma for seeking information from Specialists/ GDMOs with PG Qualification for designated teaching faculty in Proposed New ESIC Medical Colleges

	r		-										Pr	oforma for	seeking informa	ion from Specialis	sts/ GDM	Os with PG Qu	alification	for desig	nated teachin	ng facul	ty in Propose	ed New ESIC Medical Colleges		-	_	1	Т	-		
								E	SIC Me	dical Co	ollege/ I	Hospital /	ESIC O	ffice																		
																Diese	0.000.00	ach all the supp	orting doou	monto in r	odf format											
S.No.	Name of the Medica Officer (Employee ID)	Nobile Number	Date of Appoint ment in ESIC	Cadre of Appointm ent in ESIC (Specialis / GDMO)	a cadre (Specialis / GDMO)					tails of Qu					Details of Non - medical Qualifications, if any (MSc (Medical Anatomy) with PhC Medical Anatomy/ MSc (Medical Biochemistry) with PhD in Medical Biochemistry/ MSC (Medical Physiolog with PhD in Medical Physiology) with name of institute, date of passing	Details of Registration (Registration Number, Registerec with State medical council/ National Medical Council with highest qualification validity of Registration) certificate)	Whetl Reside concern i (if yes with du details from wi , Resid	her Senior Pc ncy done in sam ed Specialty q no. of years uration and of institution here Senior tency was done)	st PG experi e speciality (ualification) ir Ided non-tea Ho	ence (in ye subject of s n a minimur ching Gove spital	sars) in Wheth already working smment Design faculty details (in yea design with st end da	y g as nated y, if yes thereof ins with iation) art and	Experience as teaching faculty (other than Designated	Total Number of Research Popens (only original papers, metaanalysis, systematic reviews, and case series that are published in journals internation hubbled, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DxJ) will be (Penses atthe supportion document)	Number of reasearch paper or hascular protect (ant) original papers, metaanalysis, systematic reviews, and case series that are published in journals internet in-tubled, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journal (DMJ) will be	Details of Research Papers (Title, Name of Journal, Date of Publication etc.)	Whether the officer is eligible for designated teaching faculty as pe NMC Norms	(Assistant Professor/ Associate Professor/	Whether completed the basic course Education Technology from Institutions designated by NMC.	completed the Basic course in Biomedical Research from Institutions designated by	as per proforma submitted (Yes/ No). If Yes, attach	Remarks, if any
						MBBS/	BDS		Qualificatio ecialist qu ID/MS/ DN	alification		Subject	t of Super S	ification with Specialist / FNB/ Dr.NB)			the Medical College/ Hospital	the the institute is Gov	t_ bital	Beds v	Duration with start and end date											
							bassing th N C H	ne n fedical te	'eaching/ ion- eaching nstitute		passing	the /n Medical tea	on- rot																			
1																																
2			-		1												-									-						
3			-													+													+			
4		-	-	-											l		-		_	-							-		-			
6	-	+	1	1	1	1										1	-							1	1	-	+	1	1	+		
7					1																			1		1						
8					1																											
9																																

PROFORMA FOR APPLICATION FOR DESIGNATED TEACHING FACULTY (Assistant professor/ Associate Professor/ Professor)

1.	Name of the Candidate:	-	
2.	Employee ID:		
3.	Date of Birth & Age (in years):		_
4.	Current Cadre: Specialist/ GDMO:		
5.	Current Designation:		
6.	Current Posting Location:		
7.	Address:		
8.	Mobile No.:		
9.	Email ID:		
10.	Application for the post of: Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor/		

11. Subject/ Speciality for which applying: _____

A. Qualification Details for candidates with MD/MS

	Name of Medical College/Institutio n/ Hospital & University	Name of the Specialt y	Year of passing the examinatio n	Registration Details (Registratio n Number, Registering Medical Council, Validity of Certificate)	Details of Senior Residenc y (Name of the Institute, whether Teaching / Non- Teaching Institute, duration with start and end date)	Details of experienc e of Assistant Professor (Name of the Institute, duration with start and end date)	Year of Experience of working in the concerned department in a 220 and above bedded hospital and the details (If possessing Post graduate qualification)
MBBS							
MD/MS							
Any additional Qualificatio n							

B. <u>Qualification Details for candidates with DNB:</u>

	Name of Medical College/ Institution/ Hospital & University	Whether teaching / Non-Teaching institute/ Medical College/ PGIMSR	Numb er of Beds (Total)	Year of passing the examination	Registration Details (Registration Number, Registering Medical Council, Validity of Certificate)	Details of Senior Residency (Name of the Institute, whether Teaching/ Non-Teaching Institute, duration with start and end date)
MBBS						
DNB						
Any additional qualification						

C. <u>For Non- Medical Candidates</u>:

Qualification	Name of the Specialty	Name of the Medical College & University	Year of Passing	Registration No. with date of Admission	Whether registered with Medical Council. If yes, complete details
M.Sc. (Medical)					
Ph.D. (Medical)					

D. <u>Details of Research papers</u>:

S. No.	Total Number of Research Papers	Total Number of Research Papers as Associate Professor	metaanal Medline, Scopus, I	Details of Research Papers Total Number of Research Papers (only original papers, metaanalysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered) (Please attach supporting document)							
1.			Title of Papers	Original papers/ metaanalysis/ Systematic reviews /case series	Name of Journal with index name and ISSN No.	Whether published as First Author/ Corresponding Author/ Other	Referencing in Vancouver style (List all authors)				
2.											
3.											

4.				
5.				
6.				
7.				

E. Details of Training Course from Institutions designated by NMC

S.No.	Name of the course	Yes/ No	If Yes, Name of the centre with year of completion of course
1.	Certificate of Basic Course in Medical Education Technology		
2.	Certificate of Basic Course in Bio- Medical Research		

F. Details of teaching experience, if any: -

- Whether already working as Designated Faculty, if yes details thereof (in years with designation)
 Total Teaching Experience as teaching faculty (other than Designated faculty), if any (in years with designation)

Position	Name of College/ Hospital/ Institution	Name of the University	Number of Beds	Teaching/ Non- Teaching	Recognized/ Not Recognized/ LOP(by NMC/ MCI)	From	То	Duration of teaching Experience in years and months
Post PG experience (in years) in same speciality (subject of specialist qualification)/ Senior Residency details								

Tutor/				
Demonstrator/ others				
Assistant Professor				
Associate				
Professor				
Professor				
Any Other (Please Specify)				

G. <u>Willingness of the candidates for appointment as Designated Teaching Faculty</u>:

newly p No) Write if Associa	rness to be appointed as Designated faculty (In the proposed ESIC Medical Colleges) (Write Yes or E eligible for the post of Assistant Professor/ te Professor/ Professor. Ilingness for Posting in order of preference is as belo	w:
S.No.	Name/ Location of the ESIC Medical College	Preference
1	Andheri	
2	Beltola	
3	Indore	
4	Jaipur	
5	Ludhiana	
6	Naroda- Bapunagar	
7	Noida	
8	Ranchi	
9	Varanasi	
10.	Basaidarapur	

H. Whether recognized as Medical Teacher by MCI/ NMC?

Yes/ No (If Yes, Provide details)

S. No.	Position held	Subject	Designation	Date of Recognition	Recognized by NMC/ MCI

I. <u>DECLARATION:</u>

I, Dr._____ working at ______hereby declare that contents of this application by the undersigned are absolutely true and correct and nothing has been concealed. In the event of any statement made in this application subsequently found false at any stage, my candidature shall be cancelled by Competent Authority of ESIC.

I understand that submission of this application does not confer me any right to be appointed as Designated faculty in ESIC Medical College. I also understand that I may be appointed and transferred to any of the ESIC Medical Colleges/ other ESIC Hospitals as per the functional &administrative requirement of ESIC.

> (Signature of the Candidate) Name: Designation: Employee ID:

Date:

Place:

It is certified that the content of above declarations and facts as stated above by Dr.______ (Name and Designation), Employee ID______ posted in the Department of ______ at _____ (Name of The Location) have been checked and verified from the service record/ service card of Dr._____ and found correct.

I further declare that Dr. ______ (Name and Designation) is eligible to be designated as (Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor) and his application is recommended and forwarded by me.

(Countersigned by the Dean/Medical Superintendent/ DMD/DMN/ Regional Director)

Name and Stamp: Designation:

Date and Place:

J. <u>CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONG WITH THE APPLICATION</u> FORM:

1.Copy of MBBS / BDS Degree from Recognised University.

2.Copy of MD/MS/DNB Degree from Recognised University.

3.Certificate / Degree of Passing Non-Medical Qualification from Recognised University.

4. Registration Certificate from State/ National Medical Council with highest qualification mentioned.

5.Documentary proof of Senior Residency from concerned Teaching institute clearly mentioning the subject, designation and duration.

6.Documentary Proof of Post-PG Experience in concerned specialty clearly mentioning the subject, designation and duration.

7.Documentary proof of Teaching experience in concerned specialty (regular/ designated faculty) clearly mentioning the subject, designation and duration.

8. Certificate of recognition as Medical Teacher by MCI/ NMC (if any)

9.List of all publications in Vancouver style of Referencing with documentary proof with name of all authors (attach all duly self-attested publications)

10. Documentary proof of Completing the basic course in Medical Education Technology from institute designated by NMC.

11. Documentary proof of Completing the basic course in Biomedical Research from institute designated by NMC.

12. Duly notarized Affidavit on stamp paper of Rupees 100 for willingness for designated teaching faculty.

13. Excel sheet duly filled and duly signed pdf. copy of Excel(**BOTH**) of attached proforma for seeking information from Specialist/ GDMOs with PG Qualifications.

14. Any other documents.

ON STAMP PAPER OF RS. 100/- AND DULY NOTARIZED AFFIDAVIT

WILLINGNESS FOR ASSIGNMENT OF ADDITONAL TEACHING DUTIES (DESIGNATION) AS PROFESSOR / ASSOCIATE PROFESSOR / ASSISTANT PROFESSOR TO DOCTORS WORKING IN ESIC MEDICAL COLLEGES/ PGIMSR/ ESIC HOSPITAL/ DISPENSARY/ OTHER ESIC OFFICES.

1. Dr._____,having PG degree qualification (MD/MS/DNB/M.Sc./Ph.D) in ______ (Name of Specialty) and recruited by ESIC as Specialist / GDMO/ Other and presently working

in the department of ______at ESIC Hospital, _____

OR

as ______ at _____ (Name of the location), hereby,

am willing to be assigned additional teaching duties of Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor as per TEACHERS ELIGIBILITY QUALIFICATIONS (TEQ),2022 subject to the following terms & conditions:

- 2. I certify that my willingness for the additional teaching assignment is based on my own volition and will.
- 3. It shall be subject to approval by NMC and Affiliating University.
- 4. The assignment of additional duties (designated) of Professor / Associate Professor / Assistant Professor shall be effective from the date of approval of this assignment.
- 5. I shall continue to perform existing duties assigned to me as Specialist / GDMO's'. In addition, I shall perform the duties of teaching faculty as Professor/Associate Professor / Assistant Professor.
- 6. I shall continue to be governed by the rules and regulations of my initial recruitment and cadre.
- 7. I shall continue to draw the existing pay scales and allowances; no additional remuneration shall be payable to me on account of such assignment.
- 8. I can be assigned any additional duty by the Competent Authority.
- 9. The above-mentioned assignment as Professor/ Associate Professor / Assistant Professor is applicable only at present place of posting.
- 10. I shall remain under the administrative control of Dean, Medical College/ PGIMSR _____(Location shall be assigned by ESIC) for all Academic purposes.
- **11.** I shall not make a claim for change of cadre, i.e. from non-teaching to teaching, at any stage, during my employment with ESIC.

I certify that I have read all the above terms and conditions and agree to fully abide by them.

(Dr._____)

Name: Employee ID: Designation: Place of Posting:

Date:

Witness:

(1)

(2)

REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233681 CG-DL-E-23022022-233681

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] No. 103] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

(स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2022

चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022

फा. सं. एनएमसी/एमसीआई-23(I)/2021-एमईडी.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 57 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- 1.1 इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022" कहा जाएगा।
- 1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. उद्देश्य

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के दायरे में आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न शिक्षण स्पेशियलिटीज में संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यता और अनुभव के अनुसार होनी चाहिए, ताकि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षण का मानक बनाए रखा जा सके।

3. चिकित्सा संस्थानों में संकाय की नियुक्ति के लिए सामान्य मानदंड :

चिकित्सा कॉलेज या संस्थान में शिक्षण पद पर नियुक्ति करने से पहले प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों का पालन करेंगे :

3.1 सभी चिकित्सा शिक्षकों के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की अनुसूचियों में से किसी एक में शामिल स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष

1258 GI/2022

2

योग्यता होनी चाहिए। गैर-चिकित्सा योग्यता वाले शिक्षकों को छोड़कर, चिकित्सा शिक्षक किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत भी होना चाहिए।

- 3.2 अधिकतम आयु सीमा जब तक शिक्षक या चिकित्सा अधीक्षक या डीन या प्राचार्य या निदेशक या, जैसा भी मामला हो, के पदों, जिसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानदंडों के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी चिकित्सा कॉलेज / संस्थान में भरने की आवश्यकता है, पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है या सेवा विस्तार दिया जा सकता है या सेवा में पुन: नियोजित किया जा सकता है, 70 वर्ष होगी।
- 3.3 शरीर-रचना विभाग, शरीरक्रिया विभाग और जैव-रसायन विभाग में ऐसे गैर-चिकित्सा स्नातकों को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिनके पास एमएससी (प्रासंगिक चिकित्सा) और पीएचडी योग्यता होगी, जो मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज / संस्थान द्वारा संबंधित विषय में परिसर पाठ्यक्रम पर नियमित छात्र के रूप में प्रदान गई हो। किसी गैर-चिकित्सा व्यक्ति को डीन या निदेशक या प्राचार्य या चिकित्सा अधीक्षक या विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

परंतु यह कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के संबंध में 05 दिसंबर, 1998 को चिकित्सा संस्थान विनियम, 1998 के लागू होने से पहले एमएससी डिग्री के आधार पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और माइक्रो-बायोलॉजी के विषयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त गैर-चिकित्सा स्नातक सहायक प्रोफेसर के रूप में विचार किए जाने के पात्र होंगे। हालांकि, शिक्षण के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित चिकित्सा विषय में पीएचडी की डिग्री आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कॉलेज में सेवा करने के लिए अनुमत आयु तक उसी पद पर संकाय के रूप में सेवा करने के लिए भी पात्र होंगे, जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे।

- 3.4 नियुक्ति प्राधिकारी कुछ समकक्ष स्नातकोत्तर योग्यताओं, जिन्हें राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जा सकता है, पर संबंधित विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त योग्यता होने के लिए विचार कर सकता है।
- 3.5 ऐसे मामलों में जहां अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा योग्यता पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को संदर्भ भेजा जा सकता है।
- 3.6 चिकित्सा संस्थान के डीन / निदेशक / प्राचार्य का पद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री रखने वाले व्यक्ति के पास होना चाहिए, जिसके पास चिकित्सा कॉलेज / संस्थान में प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव विभाग में प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। इन पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाएगी। चिकित्सा संस्थान के डीन / निदेशक / प्राचार्य विभागाध्यक्ष के पद पर नहीं होंगे।
- 3.7 संबद्ध शिक्षण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री होनी चाहिए और उसके पास अस्पताल के संबंधित विभागों में प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए। इन पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाएगी। चिकित्सा अधीक्षक विभागाध्यक्ष के पद पर काबिज नहीं होंगे। हालाँकि, वह यूनिट के अध्यक्ष हो सकते हैं।
- 3.8 स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर ब्रॉड स्पेशियलिटी / सुपर स्पेशियलिटी संस्थान के डीन / निदेशक / प्राचार्य का पद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले व्यक्ति के पास होगा, जिसके पास प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव प्रोफेसर के रूप में हो।
- 3.9 ब्रॉड और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के विभागों के विभागाध्यक्षों के पास, यथा स्थिति, संबंधित स्पेशियलिटी में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर ब्रॉड स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी डिग्री होगी। ऐसे सभी ब्रॉड और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम, जो 01 जनवरी, 2009 के बाद शुरू किए गए थे, उनको इस विनियम की अधिसूचना की तारीख से पांच और वर्षों के लिए इस अनिवार्य आवश्यकता में छूट प्रदान की गई है।
- 3.10 सरकारी संस्थानों में पात्र उम्मीदवारों में से इन प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति, इसमें प्रभारी बनाने की व्यवस्था शामिल है, संस्थान / सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि के आधार पर परस्पर लंबवत वरिष्ठता पर होगी।

भाग	III—	-खण्ड	41

- 3.11 समवर्ती ड्यूटी / प्रतिनियुक्ति पर सुपर स्पेशियलिटी वाले विषय में डिग्री प्राप्त करने के लिए शिक्षण संकाय द्वारा बिताई गई अवधि को संबंधित सुपर स्पेशियलिटी विभाग में पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए शिक्षण अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- 3.12 चिकित्सा विषयों में एमडी-पीएचडी धारकों के लिए, पीएचडी के दौरान बिताई गई अवधि को वरिष्ठ रेजिडेंट अवधि के समकक्ष माना जाएगा और वे संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
- 3.13 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी (स्वास्थ्य सांख्यिकी / चिकित्सा सांख्यिकी / जैव सांख्यिकी/ सांख्यिकी) के साथ पीएचडी की डिग्री वाले व्यक्ति को सामुदायिक चिकित्सा विभाग में सांख्यिकी के सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

एमडी / एमएस के साथ डीएनबी (ब्रॉड स्पेशियलिटीज) और डीएम / एमसीएच के साथ डीएनबी (सुपर स्पेशियलिटीज) की योग्यता की समकक्षता का निर्धारण

ब्रॉड स्पेशियलिटीज और सुपर स्पेशियलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (डीएनबी) का डिप्लोमेट, जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा पांच सौ या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमडी / एमएस) और सुपर स्पेशियलिटी (डीएम / एमसीएच) स्नातकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा, परंतु अन्य सभी मामलों में, शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंसी की आवश्यकता होगी।

5. स्नातकोत्तर गाइड के रूप में मनोनीत होने के लिए पात्रता :

- 5.1 **ब्रॉड स्पेशियलिटीज:** किसी चिकित्सा कॉलेज या संस्थान के ऐसे शिक्षक को उस स्पेशियलिटी में स्नातकोत्तर गाइड के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी जिसके पास ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद सहायक प्रोफेसर और उच्चतर पदधारी के रूप में कुल 5 साल का शिक्षण अनुभव होगा, बशर्ते उस विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विभाग को मान्यता / अनुमति प्रदान की गई हो।
- 5.2 सुपर स्पेशियलिटीज: किसी चिकित्सा कॉलेज या संस्थान के ऐसे शिक्षक को सुपर स्पेशियलिटी के उस विषय में स्नातकोत्तर गाइड के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी जिसके पास सुपर स्पेशियलिटी के संबंधित विषय में सुपर स्पेशियलिटी डिग्री प्राप्त करने के बाद सहायक प्रोफेसर और उच्चतर पदधारी के रूप में कुल 3 साल का शिक्षण अनुभव होगा, बशर्ते उस विषय में सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विभाग को मान्यता / अनुमति प्रदान की गई हो।

इसके अलावा, ब्रॉड स्पेशियलिटी / सुपर स्पेशियलिटी के ऐसे पाठ्यक्रमों के मामले में जो हाल ही में आरंभ किए गए हैं, स्नातकोत्तर गाइड के रूप में मान्यता के लिए योग्यता और अनुभव में छूट तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा पाठ्यक्रम शुरू होने की तारीख से दस साल के लिए प्रदान की गई थी। सुपर स्पेशियलिटी के सभी मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए यह छूट उस दिन समाप्त हो जाती है जब वे उस तारीख से दस साल पूरे कर लेते हैं, जिस दिन वे तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शुरू किए गए थे। तथापि, संक्रमण अवधि के दौरान योग्यता और अनुभव में इस छूट को ऐसे सभी ब्रॉड और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए इस विनियम की अधिसूचना की तारीख से पांच और वर्षों तक बढ़ाया जाएगा जो 01 जनवरी, 2009 के बाद शुरू किए गए। यह छूट 2009 से पहले शुरू किए गए पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं है।

6. संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए मानदंड :

संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति के मानदंड निम्नानुसार होंगे :

तालिका 1 क : ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमडी / एमएस) जो 10 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में हैं, में संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए मानदंड

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव	
प्रोफेसर पीजी के बाद 8 साल का अनुभव	संबंधित विषय में एमडी / एमएस / डीएनबी	i. किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज / संस्थान में 3 साल के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर।	
		ii. कम से कम चार शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]।	
		iii. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।	
		iv. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।	
एसोसिएट प्रोफेसर पीजी के बाद 5 साल का अनुभव	संबंधित विषय में एमडी / एमएस / डीएनबी	i. किसी अनुमत /मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज / संस्थान में 4 साल के लिए विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में।	
		ii. कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]।	
		iii. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।	
		iv. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।	
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में एमडी / एमएस / डीएनबी	एमडी / एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त / अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष।	
वरिष्ठ रेजिडेंट (चिकित्सा		hत्सा स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी / एमएस / डीएनबी) प्राप्त रू वन के कोर्ट के क ार कर के	
स्नातकोत्तर)	करने के बाद संबंधित विभाग में		
ट्यूटर (गैर-चिकित्सा स्नातकोत्तर)	एमएससी (मेडिकल) डिग्री के साथ गैर-चिकित्सा स्नातकोत्तर को ट्यूटर कहा जाएगा, वे चाहे जिस भी विभाग में काम कर रहे हों।		

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
		पद पदावधि वाले पद हैं जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तक की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। पदावधि वाले इसंकाय पद नहीं हैं।
	पूर्व में प्रचलित अन्य सभी पदन	ामों को हटा दिया गया है।
		युक्त मौजूदा ट्यूटर / डेमन्स्ट्रैटर / रजिस्ट्रार को यथा स्थिति ज्प में फिर से पदनामित किया जाएगा और वे सेवानिवृत्ति
	-	ष्ठ रेजिडेंट / ट्यूटर / डेमन्स्ट्रैटर / रजिस्ट्रार पर लागू नहीं अधिसूचना से पहले स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया

तालिका 1ख : ब्रॉड स्पेशियलिटीज की सूची जिसमें गैर-चिकित्सा शैक्षिक योग्यता वाले व्यक्तियों को संकाय (सहायक प्रोफेसर और उससे आगे) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	एनाटॉमी	एमएससी (मेडिकल एनाटॉमी) के साथ पीएचडी मेडिकल एनाटॉमी
2.	बायोकैमिस्ट्री	एमएससी (मेडिकल बायोकैमिस्ट्री) के साथ पीएचडी मेडिकल बायोकैमिस्ट्री
3.	फिजियोलॉजी	एमएससी (मेडिकल फिजियोलॉजी) के साथ पीएचडी मेडिकल फिजियोलॉजी

तालिका 1ग : ऐसी ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमडी / एमएस) में संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति जिसमें तत्कालीन एमसीआई द्वारा ब्रॉड स्पेशियलिटी का पाठ्यक्रम स्थापित किया गया है और दस साल से कम समय के लिए कार्यशील है और साथ ही राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित नए ब्रॉड स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए भी मानदंड

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
पप प्रोफेसर	संबोधित विषय में एमडी / एमएस / डीएनबी अथवा <u>संक्रमण काल के दौरान</u> तालिका 4.क में उल्लिखित ब्रॉड स्पेशियलिटी के विषयों में एमडी / एमएस / डीएनबी	 i. किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज / संस्थान में तालिका 4क में उल्लिखित विषयों में तीन साल के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। ii. उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान / उत्कृष्टता केंद्र में ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण। iii. कम से कम चार शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस
		सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में

File No. A-45012/1/2025-MED-VI (Computer No. 1093197)

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
		शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]।
		iv. चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए
		v. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
एसोसिएट प्रोफेसर	संबंधित विषय में एमडी / एमएस / डीएनबी अथवा	i. किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज / संस्थान में तालिका 4क में उल्लिखित विषय में चार साल के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में।
	<u>संक्रमण काल के दौरान</u> तालिका 4.क में उल्लिखित ब्रॉड स्पेशियलिटी में एमडी / एमएस /	ii. उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान / उत्कृष्टता केंद्र में ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण।
	डीएनबी	iii. कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]।
		iv. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
		 v. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में एमडी / एमएस / डीएनबी अथवा	उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान / उत्कृष्टता केंद्र में ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण।
	<u>संक्रमण काल के दौरान</u>	
	तालिका 4.क में उल्लिखित ब्रॉड स्पेशियलिटी में एमडी / एमएस / डीएनबी	
वरिष्ठ रेजिडेंट (चिकित्सा	वरिष्ठ रेजिडेंट वह है जो चिकित्सा स्नात संबंधित विभाग में अपनी रेजीडेंसी कर	कोत्तर डिग्री (एमडी / एमएस / डीएनबी) प्राप्त करने के बाद रहा है।
स्रातकोत्तर) ट्यूटर	् एमएससी (मेडिकल) डिग्री के साथ गैर-चिकित्सा स्नातकोत्तर को ट्यूटर कहा जाएगा, वे चाहे जिस भी विभाग में काम कर रहे हों।	
्गैर-चिकित्सा स्नातकोत्तर)	वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर का पद पदावधि वाला पद है जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रारंभिक नियुक्ति के समय स्नातक की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।	

[भाग III—खण्ड 4]

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
	पदावधि वाले वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर	के पद संकाय पद नहीं हैं।
	पूर्व में प्रचलित अन्य सभी पदनामों को	हटा दिया गया है।
		ाजूदा ट्यूटर / डेमन्स्ट्रैटर / रजिस्ट्रार को यथा स्थिति वरिष्ठ दनामित किया जाएगा और वे सेवानिवृत्ति तक कार्य करना
	ऊपर उल्लिखित शर्तें ऐसे वरिष्ठ रेजिडेंत इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स	१ ट्यूटर / डेमन्स्ट्रैटर / रजिस्ट्रार पर लागू नहीं होंगी, जिन्हें श्यायी आधार पर नियुक्त किया गया है।

तालिका 2 : 💦 चिकित्सा कॉलेज में दंत चिकित्सा विभाग में संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए मानदंड

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण या अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर	एमडीएस	i. किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा / दंत चिकित्सा कॉलेज / संस्थान में 3 साल के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर।
		ii. कम से कम चार शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]।
		iii. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
		iv. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
एसोसिएट प्रोफेसर	एमडीएस	i. किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज / दंत चिकित्सा कॉलेज /संस्थान में 4 साल के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर ।
		ii. कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]।
		iii. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
		iv. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
सहायक प्रोफेसर	एमडीएस	एमडीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त / अनुमत चिकित्सा / दंत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट / रजिस्ट्रार / ट्यूटर के रूप में एक वर्ष।
वरिष्ठ रेजिडेंट	एमडीएस	वरिष्ठ रेजिडेंट वह है जो एमडीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद दंत

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण या अनुसंधान अनुभव
		चिकित्सा में रेजिडेंसी कर रहा है।
		वरिष्ठ रेजिडेंट का पद पदावधि वाला पद है जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होती है। प्रारंभिक नियुक्ति के समय स्नातक की आयु
		45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

तालिका 3 क : सुपर स्पेशियलिटीज (डीएम / एमसीएच), जिसमें सुपर स्पेशियलिटी का पाठ्यक्रम तत्कालीन एमसीआई द्वारा स्थापित किया गया है और दस वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहा है, में संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए मानदंड

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर	संबंधित विषय में डीएम / एमसीएच / डीएनबी	i. किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज / संस्थान में 3 साल के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर।
		 कम से कम चार शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]।
		iii. चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए
		iv. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
एसोसिएट प्रोफेसर	संबंधित विषय में डीएम / एमसीएच / डीएनबी	i. किसी अनुमत /मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज / संस्थान में 2 साल के लिए विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में।
		ii. कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]।
		iii. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
		iv. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में डीएम / एमसीएच / डीएनबी	
वरिष्ठ रेजिडेंट (सुपर स्पेशियलिटीज)	डीएम / एमसीएच छात्र को	संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में पदनामित किया जाएगा।

तालिका 3 ख : ऐसी सुपर स्पेशियलिटीज (डीएम/ एमसीएच) में संकाय की नियुक्ति और पदोन्नति जिसमें तत्कालीन एमसीआई द्वारा सुपर स्पेशियलिटी का पाठ्यक्रम स्थापित किया गया है और दस साल से कम समय के लिए कार्यशील है और साथ ही राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित नए पाठ्यक्रमों के लिए भी मानदंड

पद	शैक्षणिक योग्यता		शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर	संबंधित विषय में डीएम / एमसीएच / डीएनबी अथवा <u>संक्रमण काल के दौरान</u> तालिका 4.ख में उल्लिखित ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित विषय में एमडी /	i. ii.	किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज / संस्थान में तालिका 4ख में उल्लिखित विषय में तीन साल के लिए एसोसिएट प्रोफेसर। उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान / उत्कृष्टता केंद्र में सुपर स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण।
	एमएस / डीएनबी	iii. iv.	कम से कम चार शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]। चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए
		v.	पाएए एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
एसोसिएट प्रोफेसर	संबंधित विषय में डीएम / एमसीएच / डीएनबी अथवा	i.	किसी अनुमत / मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज / संस्थान में तालिका 4ख में उल्लिखित विषय में दो साल के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में।
	<u>संक्रमण काल के दौरान</u> तालिका 4.ख में उल्लिखित ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित विषय में एमडी / एमएस / डीएनबी	ii.	उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान / उत्कृष्टता केंद्र में सुपर स्पेशियलिटी के संबंधित नए विभाग में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण।
	एमएस <i>।</i> आएगवा	iii. iv.	कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए [केवल ऐसे मूल पेपर, मेटा विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस सीरीज़ पर विचार किया जाएगा जो मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स इक्स्पैन्डिड एम्बेस, स्कोपस, डाइरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं]। एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से

File No. A-45012/1/2025-MED-VI (Computer No. 1093197)

Generated from eOffice by SARIKA SARIKA, AD-MED6-SS, ASSISTANT DIRECTOR(MED6), Employees State Insurance Corporation (ESIC) on 10/02/2025 03:31 pm

9

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
		चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। v. एनएमसी द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।
सहायक प्रोफेसर	संबंधित विषय में डीएम / एमसीएच / डीएनबी अथवा <u>संक्रमण काल के दौरान</u> तालिका 4.ख में उल्लिखित ब्रॉड स्पेशियलिटी के संबंधित विषय में एमडी / एमएस / डीएनबी	उस स्पेशियलिटी में समर्पित सेवा के साथ किसी शिक्षण संस्थान / उत्कृष्टता केंद्र में सुपर स्पेशियलिटी के संबंधित नए विषय में तीन साल के लिए विशेष प्रशिक्षण।
वरिष्ठ रेजिडेंट (सुपर स्पेशियलिटीज)		एस / डीएनबी की डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातक वरिष्ठ जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रारंभिक

7. संक्रमण काल के दौरान संकाय की नियुक्ति

- 7.1 किसी नई ब्रॉड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी के लिए शैक्षणिक योग्यता वह होगी जो नई स्पेशियलिटी को अधिसूचित करते समय दर्शाई जाएगी। प्रवेश स्तर की योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
- 7.2 संक्रमण काल के दौरान शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्त व्यक्ति दस साल की संक्रमण अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी एसोसिएट प्रोफेसर / प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। ऐसा व्यक्ति उसी या किसी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में 70 वर्ष की आयु तक उसके द्वारा धारित शिक्षण पद पर रहने का भी हकदार होगा।
- 7.3 ब्रॉड स्पेशियलिटी / सुपर स्पेशियलिटी के ऐसे पाठ्यक्रमों के मामले में, जो हाल ही में आरंभ किए गए हैं, संक्रमण अवधि के दौरान संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव में छूट तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम की शुरुआत की तारीख से दस साल के लिए प्रदान की गई थी। बॉड स्पेशियलिटी के सभी मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए यह छूट उस दिन समाप्त हो जाती है जब वे उस तारीख से दस साल पूरे कर लेते हैं, जिस दिन वे तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शुरू किए गए थे।
- 7.4 खंड 7.3 में उल्लिखित संक्रमण अवधि के दौरान योग्यता और अनुभव में इस छूट को ऐसे सभी ब्रॉड और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए इस विनियम की अधिसूचना की तारीख से पांच और वर्षों तक बढ़ाया जाएगा जो 01 जनवरी, 2009 के बाद शुरू किए गए। यह छूट 2009 से पहले शुरू किए गए विभागों पर लागू नहीं है।
- 8. चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्थानीय स्वशासन या सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों द्वारा नियोजित परामर्शदाताओं / विशेषज्ञों के लिए शिक्षण पदनामों के निर्धारण के लिए मानदंड
- 8.1 नए चिकित्सा कॉलेज :

ऐसे गैर-शिक्षण परामर्शदाता या विशेषज्ञ सहायक प्रोफेसर के रूप में पदनामित होने और स्थायी रूप से आत्मसात होने के लिए पात्र होंगे, जिनके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा की डिग्री है तथा न्यूनतम 330 बेड वाले गैर-शिक्षण सरकारी अस्पताल में संबंधित स्पेशियलिटी में कम से कम दो साल से काम कर रहे हैं, यदि उस अस्पताल को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी चिकित्सा कॉलेज में परिवर्तित किया जा रहा है। उच्च शिक्षण पदनामों पर अनुवर्ती पदोन्नति इन विनियमों के अनुसार होगी। परंतु यह भी कि यह केवल एक बार का प्रावधान होगा और इस प्रकार आत्मसात किए गए शिक्षक को उस संस्थान से पांच साल के लिए स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। किसी संकाय की अनुवर्ती पदोन्नति इन विनियमों के अनुसार होगी।

- 8.2 स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान : ऐसे परामर्शदाता या विशेषज्ञ संबंधित विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में समकक्ष होने के लिए पात्र होंगे, जिनके पास आवश्यक स्नातकोत्तर डिग्री और संबंधित स्पेशियलिटी / सुपर स्पेशियलिटी विभाग में कम से कम 2 साल की अवधि के लिए ऐसे संस्थान या अस्पताल में काम करने का अनुभव है, जो किसी चिकित्सा कॉलेज से जुड़ा नहीं है, जहां स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2022 की धारा 9.3 के अनुसार स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर स्रातकोत्तर सिंस्थान या अस्पताल में काम करने का अनुभव है, जो किसी चिकित्सा कॉलेज से जुड़ा नहीं है, जहां स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2022 की धारा 9.3 के अनुसार स्नातकोत्तर शिक्षा पदनामों पर अनुवर्ती पदोन्नति इन विनियमों के अनुसार होगी।
- रक्षा सेवाओं के चिकित्सा संस्थानों में परामर्शदाताओं / विशेषज्ञों के लिए शिक्षण पदनामों का निर्धारण करने के लिए मानदंड :
- 9.1 प्रोफेसर : सशस्त्र बलों के ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माना जा सकता है, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव सशस्त्र बलों के किसी शिक्षण अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में है और खंड 6 के अनुसार दो शोध प्रकाशन हैं।
- 9.2 एसोसिएट प्रोफेसर: सशस्त्र बलों के ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माना जा सकता है, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अनुभव सशस्त्र बलों के किसी शिक्षण अस्पताल में सहायक प्रोफेसर के रूप में है और खंड 6 के अनुसार दो शोध प्रकाशन हैं।
- 9.3 **सहायक प्रोफेसर** : सशस्त्र बलों के ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माना जा सकता है, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 1 वर्ष का शिक्षण अनुभव है।

10. अतिथि संकाय

सभी विभागों में स्नातकोत्तर छात्रों के शिक्षण की बोधगम्यता और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से, चिकित्सा कॉलेज / संस्थान अंशकालिक आधार पर विदेश से अतिथि संकाय के रूप में समकक्ष योग्यता वाले अतिरिक्त संकाय सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अतिथि संकाय प्रासंगिक "वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता विनियम, 2020" और "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2022" में निर्धारित न्यूनतम संकाय के अलावा होगा।

11. शिक्षण स्पेशियलिटीज की सूची

- 11.1 स्पेशियलिटीज / विषयों का नाम वही होगा जो स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2022 में है। इन विनियमों
 में किसी नई स्पेशियलिटी के जुड़ने / हटने पर उसे इन विनियमों की संगत तालिका में दर्शाया जाएगा।
- 11.2 किसी चिकित्सा संस्थान के विभाग में शिक्षण स्पेशियलिटीज और चिकित्सा योग्यता वाले संकाय की नियुक्ति के लिए पूर्व योग्यता ब्रॉड स्पेशियलिटीज के लिए तालिका 4क और सुपर स्पेशियलिटीज के लिए तालिका 4ख के अनुसार होगी।

12

ब्रॉड स्पेशियलिटी में विभागों की सूची :

(क) मेडिकल स्पेशियलिटीज (एमडी)

क्र. सं.	ब्रॉड स्पेशियलिटीज
01	एनाटॉमी
02	एनेस्थिसियोलॉजी
03	एयरोस्पेस मेडिसिन
04	बायोकैमिस्ट्री
05	सामुदायिक चिकित्सा
06	त्वचाविज्ञान, रतिजरोग और कुष्ठ रोग
07	आपातकालीन चिकित्सा
08	पारिवारिक चिकित्सा
09	फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी
10	सामान्य चिकित्सा
11	जराचिकित्सा
12	सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन
13	अस्पताल प्रशासन
14	ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा
15	मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (महामारी विज्ञान)
16	माइक्रोबाइलॉजी
17	समुद्री चिकित्सा
18	परमाणु चिकित्सा
19	विकृति विज्ञान
20	उपशामक चिकित्सा
21	बालचिकित्सा
22	फार्माकोलॉजी
23	शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास
24	फिजियोलॉजी
25	मनोरोग चिकित्सा
26	रेडियो डायग्नोसिस
27	श्वसन चिकित्सा
28	विकिरण कैंसर विज्ञान

(ख) सर्जिकल ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमएस)

क्र. सं.	ब्रॉड स्पेशियलिटीज
1	ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी - सिर और गर्दन

क्र. सं.	ब्रॉड स्पेशियलिटीज
2	सामान्य सर्जरी
3	नेत्र विज्ञान
4	हड्डी रोग
5	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान
6	ट्रौमैटोलॉजी और सर्जरी

तालिका 4क : ब्रॉड मेडिकल स्पेशियलिटीज के साथ शैक्षणिक योग्यता

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती का तरीका	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
1.	एनाटॉमी	एमडी / एमएस / डीएनबी (एनाटॉमी)	एनाटॉमी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क और तालिका 1ख के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
2.	एनेस्थीसिया	एमडी / एमएस / डीएनबी (एनेस्थीसिया)	एनेस्थीसिया के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
3.	एयरोस्पेस मेडिसिन	एमडी / डीएनबी (एविएशन मेडिसिन)	एयरोस्पेस मेडिसिन के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
4.	बायोकैमिस्ट्री	एमडी / डीएनबी (बायोकैमिस्ट्री)	बायोकैमिस्ट्री के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क और तालिका 1ख के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
5.	सामुदायिक चिकित्सा	एमडी / डीएनबी (सामुदायिक चिकित्सा) एमडी (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)	सामुदायिक चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
6.	त्वचाविज्ञान, रतिजरोग और कुष्ठ रोग	एमडी / डीएनबी (डीवीएल)	त्वचाविज्ञान, रतिजरोग और कुष्ठ रोग के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
7.	आपातकालीन चिकित्सा	एमडी / डीएनबी (आपातकालीन चिकित्सा)	आपातकालीन चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1ग के अनुसार	एमडी / एमएस / डीएनबी 1. सामान्य चिकित्सा 2. एनेस्थिसिया 3. श्वसन चिकित्सा 4. सामान्य सर्जरी 5. हड्डी रोग

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती का तरीका	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
				अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई, 2009
				इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
8.	पारिवारिक	एमडी / डीएनबी	पारिवारिक चिकित्सा के	एमडी / एमएस / डीएनबी
	चिकित्सा	(पारिवारिक चिकित्सा)	विषय में खंड 6 के तहत	1. सामान्य चिकित्सा
		ाचाकत्सा)	तालिका 1ग के अनुसार	2. बाल रोग
				3. प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान
				4. सामान्य सर्जरी
				इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
9.	फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी	एमडी / डीएनबी (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
10.	सामान्य चिकित्सा	एमडी/डीएनबी	सामान्य चिकित्सा के	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन
		(सामान्य चिकित्सा)	विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
11.	जराचिकित्सा	एमडी/डीएनबी	जराचिकित्सा के विषय में	एमडी/डीएनबी
		(जराचिकित्सा)	खंड 6 के तहत तालिका 1ग के अनुसार	1. पारिवारिक चिकित्सा
			ाग के अनुसार	2. सामान्य चिकित्सा
				इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
12.	सामुदायिक 	एमडी (सामुदायिक	सामुदायिक स्वास्थ्य	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन
	स्वास्थ्य प्रशासन	स्वास्थ्य प्रशासन) एमडी (सामुदायिक चिकित्सा)	प्रशासन के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
13.	अस्पताल प्रशासन	, एमडी (अस्पताल	अस्पताल प्रशासन के	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन
		प्रशासन)	विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
14.	ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा	एमडी / डीएनबी (ट्रांसफ्यूजन	ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने

[भाग	III—खण्ड	4]

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती का तरीका	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
		चिकित्सा)	तालिका 1क के अनुसार	की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
15.	मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (महामारी विज्ञान)	एमपीएच (महामारी विज्ञान में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ)	महामारी विज्ञान में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1ग के अनुसार	एमडी/डीएनबी सामुदायिक चिकित्सा अधिसूचना की तारीख : 08 दिसंबर, 2010 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
16.	माइक्रोबाइलॉजी	एमडी / डीएनबी (माइक्रोबायोलॉजी)	माइक्रोबायोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
17.	समुद्री चिकित्सा	एमडी (समुद्री चिकित्सा)	समुद्री चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1ग के अनुसार	एमडी / डीएनबी 1. फिजियोलॉजी 2. सामान्य चिकित्सा अधिसूचना की तारीख : 06 मई, 2017 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
18.	परमाणु चिकित्सा	एमडी/डीएनबी (परमाणु चिकित्सा)	परमाणु चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
19.	विकृति विज्ञान	एमडी / डीएनबी (विकृति विज्ञान)	विकृति विज्ञान के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
20.	उपशामक चिकित्सा	एमडी / डीएनबी (उपशामक चिकित्सा)	उपशामक चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1ग के अनुसार	एमडी / डीएनबी (एनेस्थिसियोलॉजी) अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई, 2009 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
21.	बाल रोग	एमडी / डीएनबी	बाल रोग के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने

16

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती का तरीका	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
		(बाल रोग)	अनुसार	की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
22.	फार्माकोलॉजी	एमडी / डीएनबी (फार्माकोलॉजी) / एमबीबीएस के साथ पीएचडी (मेडिकल फार्माकोलॉजी)	फार्माकोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
23.	शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास	एमडी/डीएनबी (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास)	शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1ग के अनुसार	एमएस / एमडी / डीएनबी 1. मेडिसीन के साथ पीएमआर में डिप्लोमा 2. सामान्य सर्जरी
				 हड्डी रोग इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
24.	फिजियोलॉजी	एमडी / डीएनबी (फिजियोलॉजी)	फिजियोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
25.	मनोरोग चिकित्सा	एमडी / डीएनबी (मनोरोग चिकित्सा)	मनोरोग चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
26.	विकिरण निदान	एमडी / डीएनबी (विकिरण निदान)	विकिरण निदान के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
27.	श्वसन चिकित्सा	एमडी / डीएनबी (श्वसन चिकित्सा)	श्वसन चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
28.	विकिरण कैंसर विज्ञान	एमडी / डीएनबी (विकिरण कैंसर विज्ञान)	विकिरण कैंसर विज्ञान के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
29.	दंत चिकित्सा	एडीएस	दंत चिकित्सा के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 2 के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस

[भाग III—खण्ड 4]

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती का तरीका	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
				वर्ष पूरे हो गए हैं।

तालिका 4क : सर्जिकल ब्रॉड स्पेशियलिटीज के साथ शैक्षणिक योग्यता

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती का तरीका	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
1	ओटो-राइनो- लैरिंगोलॉजी-सिर और गर्दन	एमएस / डीएनबी (ओटो-रिनो- लैरिंगोलॉजी)	ओटो-रिनो-लैरिंगोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
2	सामान्य सर्जरी	एमएस / डीएनबी (सामान्य सर्जरी)	सामान्य सर्जरी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
3	नेत्र विज्ञान	एमएस/एमडी/ डीएनबी (नेत्र विज्ञान)	नेत्र विज्ञान के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
4	हड्डी रोग	एमएस / डीएनबी (हड्डी रोग)	हड्डी रोग के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
5	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान	एमडी / एमएस / डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान)	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
6	ट्रौमैटोलॉजी और सर्जरी	एमएस / डीएनबी (ट्रौमैटोलॉजी और सर्जरी)	ट्रौमैटोलॉजी और सर्जरी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 1ग के अनुसार	एमडी / एमएस / डीएनबी 1. सामान्य सर्जरी 2. हड्डी रोग अधिसूचना सं. एमसीआई.18(1)/2010- मेड./45048 दिनांक 08 दिसंबर, 2010 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।

18

II. सुपर स्पेशियलिटी में विभागों की सूची :

(क) मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी विभाग (डीएम)

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम
1.	कार्डियोलॉजी
2.	कार्डियाक एनेस्थीसिया
3.	क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रुमेटोलॉजी
4.	क्लिनिकल हीमैटोलॉजी
5.	क्रिटिकल केयर मेडिसिन
6.	एन्डोक्रिनोलॉजी
7.	हीपैटोलॉजी
8.	इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी
9.	मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
10.	मेडिकल जेनेटिक्स
11.	मेडिकल ऑन्कोलॉजी
12.	नियोनेटोलॉजी
13.	नेफ्रोलॉजी
14.	न्यूरो-एनेस्थीसिया
15.	न्यूरोलॉजी
16.	पीडीयाट्रिक कार्डियोलॉजी
17.	पीडीयाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
18.	पीडीयाट्रिक न्यूरोलॉजी
19.	पीडीयाट्रिक ऑन्कोलॉजी
20.	पीडीयाट्रिक हेपेटोलॉजी
21.	पीडीयाट्रिक नेफ्रोलॉजी
22.	पीडीयाट्रिक और नियोनेटल एनेस्थीसिया
23.	पल्मोनरी मेडिसिन
24.	वाइरोलॉजी

(ख) सर्जिकल सुपर स्पेशियलिटी विभाग (एमसीएच)

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम
1	कार्डियाक सर्जरी
2	गाइनीकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी
3	हेपाटो-पैंक्रियाटो-बिलीएरी सर्जरी

[भाग III—खण्ड 4]

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम
4	सिर और गर्दन की सर्जरी
5	न्यूरो-सर्जरी
6	पीडीयाट्रिक सर्जरी
7	पीडीयाट्रिक कार्डियोथोरेसिक और वैस्क्युलर सर्जरी
8	प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी
9	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी
10	सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
11	थोरेसिक सर्जरी
12	यूरोलॉजी
13	वैस्क्युलर सर्जरी

तालिका 4ख : शैक्षणिक योग्यता के साथ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज :

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती की विधि	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
1	कार्डियोलॉजी	डीएम / डीएनबी (कार्डियोलॉजी)	कार्डियोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
2	कार्डियाक एनेस्थीसिया	डीएम / डीएनबी (कार्डियाक एनेस्थीसिया)	कार्डियाक एनेस्थीसिया के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
3	क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रुमेटोलॉजी	क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रुमेटोलॉजी में डीएम	क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रुमेटोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	एमडी/डीएनबी 1. सामान्य चिकित्सा 2. बाल रोग इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
4	क्लिनिकल हीमैटोलॉजी	डीएम / डीएनबी (क्लिनिकल हीमैटोलॉजी)	क्लिनिकल हीमैटोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
5	क्रिटिकल केयर मेडिसिन	डीएम / डीएनबी (क्रिटिकल केयर	क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विषय में खंड 6 के तहत	एमडी / डीएनबी 1. एनेस्थिसियोलॉजी

Generated from eOffice by SARIKA SARIKA, AD-MED6-SS, ASSISTANT DIRECTOR(MED6), Employees State Insurance Corporation (ESIC) on 10/02/2025 03:31 pm

19

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC.4]

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती की विधि	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
		मेडिसिन)	तालिका 3ख के अनुसार	2. सामान्य चिकित्सा
				3. श्वसन चिकित्सा
				4. आपातकालीन चिकित्सा
				5. पल्मोनरी मेडिसीन में डीएम
				अधिसूचना सं. एमसीआई.18(1)/2010- मेड./45048 दिनांक 08 दिसंबर, 2010
				इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
6	एन्डोक्रिनोलॉजी	डीएम / डीएनबी (एन्डोक्रिनोलॉजी)	एन्डोक्रिनोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
7	हीपैटोलॉजी	डीएम (हीपैटोलॉजी)	हीपैटोलॉजी के विषय में	डीएम / डीएनबी
			खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	1. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
				2. सामान्य चिकित्सा
				इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
8	इंटरवेंशनल	डीएम (इंटरवेंशनल	इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के	विकिरण निदान में
	रेडियोलॉजी	रेडियोलॉजी)	विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	एमडी / डीएनबी
			तालका उख क अनुसार	इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
9	मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी	डीएम / डीएनबी (गैस्ट्रोएंटरोलॉजी)	गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
10	मेडिकल जेनेटिक्स	डीएम / डीएनबी (ऐकिन्न टेरेकिन्म)	मेडिकल जेनेटिक्स के विषय	एमडी/डीएनबी
		(मेडिकल जेनेटिक्स)	में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	1. सामान्य चिकित्सा
				2. बालचिकित्सा

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती की विधि	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
				 प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
11	मेडिकल ऑन्कोलॉजी	डीएम/डीएनबी (मेडिकल ऑन्कोलॉजी)	मेडिकल ऑन्कोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
12	नियोनेटोलॉजी	डीएम / डीएनबी (नियोनेटोलॉजी)	नियोनेटोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
13	नेफ्रोलॉजी	डीएम / डीएनबी (नेफ्रोलॉजी)	नेफ्रोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
14	न्यूरो-एनेस्थीसिया	डीएम/डीएनबी (न्यूरो- एनेस्थीसिया)	न्यूरो-एनेस्थीसिया के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	एमडी/डीएनबी एनेस्थीसिया अधिसूचना सं. एमसीआई.18(1)/2010- मेड./45048 दिनांक 08 दिसंबर, 2010 इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के
15	न्यूरोलॉजी	डीएम / डीएनबी (न्यूरोलॉजी)	न्यूरोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लिए छूट बढ़ा दी गई है। लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
16	पीडीयाट्रिक कार्डियोलॉजी	डीएम / डीएनबी (पीडीयाट्रिक कार्डियोलॉजी)	पीडीयाट्रिक कार्डियोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	एमडी / डीएनबी (बालरोग) अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई, 2009 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।

22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

क्र.	स्पेशियलिटी का	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती की विधि	संक्रमण काल के दौरान
त्र. सं.	नाम			शैक्षणिक योग्यता
17	पीडीयाट्रिक	डीएम (पीडीयाट्रिक	पीडीयाट्रिक	एमडी / डीएनबी (बालरोग)
	गैस्ट्रोएंटरोलॉजी	गैस्ट्रोएंटरोलॉजी)	गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई, 2009
				इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
18	पीडीयाट्रिक	डीएम / डीएनबी	पीडीयाट्रिक न्यूरोलॉजी के	एमडी / डीएनबी (बालरोग)
	न्यूरोलॉजी	(पीडीयाट्रिक न्यूरोलॉजी)	विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई, 2009
				इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
19	पीडीयाट्रिक	डीएम (पीडीयाट्रिक	पीडीयाट्रिक ऑन्कोलॉजी के	एमडी / डीएनबी (बाल रोग)
	ऑन्कोलॉजी	ऑन्कोलॉजी)	विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	अधिसूचना की तारीख : 08 दिसंबर, 2010
				इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
20	पीडीयाट्रिक	डीएम / डीएनबी	पीडीयाट्रिक हेपेटोलॉजी के	एमडी / डीएनबी (बाल रोग)
	हेपेटोलॉजी	(पीडीयाट्रिक हेपेटोलॉजी)	विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	अधिसूचना की तारीख : 09 दिसंबर, 2009
				इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
21	पीडीयाट्रिक २०२०	डीएम (पीडीयाट्रिक	पीडीयाट्रिक नेफ्रोलॉजी के	एमडी / डीएनबी (बाल रोग)
	नेफ्रोलॉजी	नेफ्रोलॉजी)	विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	अधिसूचना संख्या : एमसीआई.18(1)/2010- मेड./45048 दिनांक 08 दिसंबर, 2010
				इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
22	पीडीयाट्रिक और	पीडीयाट्रिक और	पीडीयाट्रिक और नियोनेटल	एनेस्थीसिया में एमडी /
	नियोनेटल	नियोनेटल एनेस्थीसिया	एनेस्थीसिया के विषय में	

क्र.	स्पेशियलिटी का	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती की विधि	संक्रमण काल के दौरान
सं.	नाम			शैक्षणिक योग्यता
	एनेस्थीसिया	में डीएम	खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	डीएनबी अधिसूचना की तारीख : 24 अप्रैल, 2012 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
23	पल्मोनरी मेडिसिन	डीएम / डीएनबी (पल्मोनरी मेडिसिन)	पल्मोनरी मेडिसिन के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	एमडी/डीएनबी 1. श्वसन चिकित्सा 2. सामान्य चिकित्सा 3. बालचिकित्सा अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई, 2009 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
24	वाइरोलॉजी	डीएम (वाइरोलॉजी)	वाइरोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	माइक्रोबाइलॉजी में एमडी / डीएनबी अधिसूचना सं. एमसीआई.18(1)/2010- मेड./45048 दिनांक 08 दिसंबर, 2010 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।

तालिका 4ख : सर्जिकल सुपर स्पेशियलिटीज के साथ शैक्षणिक योग्यता:

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती की विधि	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
1	कार्डियाक सर्जरी	एमसीएच / डीएनबी (कार्डियो सर्जरी)	कार्डियो वैस्क्युलर और थोरेसिक सर्जरी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
2	गाइनीकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी	एमसीएच / डीएनबी (गाइनीकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी)	गाइनीकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत	एमडी / एमएस / डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान) इन विनियमों की अधिसूचना

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती की विधि	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
			तालिका 3ख के अनुसार	की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
3	हेपाटो-पैंक्रियाटो- बिलीएरी सर्जरी	एमसीएच (एचपीबी सर्जरी)	हेपाटो-पैंक्रियाटो- बिलीएरी सर्जरी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	 1. एमसीएच / डीएनबी सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2. एमएस / डीएनबी सामान्य सर्जरी अधिसूचना की तारीख : 09 दिसंबर, 2009 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
4	सिर और गर्दन की सर्जरी	एमसीएच / डीएनबी (सिर और गर्दन की सर्जरी)	सिर और गर्दन की सर्जरी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	एमएस / डीएनबी 1. सामान्य सर्जरी 2. ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी अधिसूचना की तारीख : 21 फरवरी, 2012 इसलिए इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
5	न्यूरो-सर्जरी	एमसीएच / डीएनबी (न्यूरो सर्जरी)	न्यूरो सर्जरी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
6	पीडीयाट्रिक सर्जरी	एमसीएच / डीएनबी (पीडीयाट्रिक सर्जरी)	विषय में खंड 6 के	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
7	पीडीयाट्रिक कार्डियोथोरेसिक और वैस्क्युलर सर्जरी	एमसीएच / डीएनबी पीडीयाट्रिक कार्डियोथोरेसिक और वैस्क्युलर सर्जरी	पीडीयाट्रिक कार्डियोथोरेसिक और वैस्क्युलर सर्जरी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	 1. कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में एमसीएच / डीएनबी 2. सामान्य सर्जरी में एमएस / डीएनबी अधिसूचना की तारीख : 21 जुलाई, 2009 लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
8	प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी	एमसीएच / डीएनबी (प्लास्टिक और पुनर्निर्माण		c
क्र. सं.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती की विधि	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता
-------------	------------------------------	---	--	--
		सर्जरी)	विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
9	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	एमसीएच / डीएनबी (सर्जिकल ऑन्कोलॉजी)	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
10	सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी	एमसीएच / डीएनबी (सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी)	सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
11	थोरेसिक सर्जरी	एमसीएच (थोरेसिक सर्जरी)	थोरेसिक सर्जरी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3ख के अनुसार	 कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में एमसीएच / डीएनबी सामान्य सर्जरी में एमएस / डीएनबी इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
12	यूरोलॉजी	एमसीएच / डीएनबी (यूरोलॉजी)	यूरोलॉजी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।
13	वैस्क्युलर सर्जरी	एमसीएच / डीएनबी (वैस्क्युलर सर्जरी)	वैस्क्युलर सर्जरी के विषय में खंड 6 के तहत तालिका 3क के अनुसार	अधिसूचना की तारीख : 06 अक्टूबर, 2001 लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन एमसीआई से पाठ्यक्रम शुरू करने की अधिसूचना की तारीख से दस वर्ष पूरे हो गए हैं।

12. समकक्षता के लिए विदेशी स्नातकोत्तर योग्यता के संबंध में सामान्य मानदंड :

12.1 ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपनी स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है, उसकी योग्यता को एमडी / एमएस / डीएम / एमसीएच, जैसा भी मामला हो, के साथ समकक्ष योग्यता के रूप में माना जा सकता है, अगर वह उन देशों में निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है। **यूनाइटेड किंगडम** : उसे विशेषज्ञ प्रशिक्षण समापन प्रमाण पत्र (सीसीएसटी) या अंतिम एफआरसीएस / एफआरसीपी डिग्री के साथ समकक्ष प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए और उस स्पेशियलिटी में प्रैक्टिस करने के लिए उस देश में पंजीकृत होना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा : उसके पास यूएसए में प्रासंगिक स्पेशियलिटी में रेजीडेंसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ एमडी की डिग्री होनी चाहिए। सुपर स्पेशियलिटीज के लिए, प्रासंगिक सुपर स्पेशियलिटी में मान्यता प्राप्त अध्येता कार्यक्रम को पूरा करने के साथ-साथ रेजीडेंसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड : उसे पर्यवेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना चाहिए जिसका समापन संबंधित स्पेशियलिटी के फैलोशिप (एफआरएसीएस / एफआरएसीपी) के रूप में हो। सुपर स्पेशियलिटी के लिए संबंधित सब स्पेशियलिटी में कम से कम दो साल का पर्यवेक्षित सब स्पेशियलिटी फेलोशिप प्रोग्राम जरूरी है।

- 12.2 उसे उन देशों में प्रशिक्षण की अपनी अवधि पूरी करनी चाहिए और उस स्पेशियलिटी में प्रैक्टिस करने के लिए वहां पंजीकृत होना चाहिए।
- 12.3 ऐसे मामलों में वह संबंधित विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र होंगे और उनकी अनुवर्ती पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों की पात्रता योग्यता विनियम, 2022" के अनुसार होगी।
- 12.4 जब कभी संदर्भ प्राप्त होगा, तो एनएमसी द्वारा अन्य योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
- 13. अपील

अस्पष्टता और विवाद के मामले में, शिक्षक किसी चिकित्सा संस्थान में शिक्षण पद के लिए अपनी पात्रता के निर्धारण के लिए संबंधित संस्थान और विश्वविद्यालय के प्रमुख के माध्यम से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को आवेदन कर सकते हैं।

14. अपवाद खंड :

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, चिकित्सा संस्थान में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 1998 के तहत की गई किसी नियुक्ति या इससे पहले परिषदों की सिफारिश संरक्षित होगी।

15. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022" में संशोधन करने का प्रावधान

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022" में कोई भी परिवर्धन, विलोपन, प्रतिस्थापन या कोई अन्य संशोधन करने का अधिकार है, जब भी आवश्यक हो।

16. निरस्त करना : "चिकित्सा संस्थान में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 1998" को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

डॉ. संध्या भुल्लर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./657/2021-22]

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

(POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2022

TEACHERS ELIGIBILITY QUALIFICATIONS IN MEDICAL INSTITUTIONS REGULATIONS, 2022

F. No. NMC/MCI-23(I)/2021-MED.—In exercise of the powers conferred by section 57 of the National Medical Commission Act, 2019, the National Medical Commission, hereby makes the following Regulations, namely:-

1. Short title and commencement

- 1.3 These Regulations may be called the "Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022".
- 1.4 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives

Appointment and promotion of faculty in various teaching specialties imparting graduate and postgraduate medical education in medical institutions, falling within the purview of the National Medical Commission, has to be in accordance with the minimum qualifications and experience prescribed in these Regulations, so as to maintain a standard of teaching in medical institutions.

3. General Norms for Appointment of Faculty in Medical Institutions

Every appointing authority before making an appointment to a teaching post in a medical college or institution shall observe the following norms:

- 3.1 All Medical Teachers must possess a Postgraduate degree or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and National Medical Commission Act, 2019. They must also be registered in a State Medical Register or National Medical Register, except in the case of teachers with non-medical qualifications.
- 3.2 The maximum age limit up to which a person can be appointed or granted extension or reemployed in service against the posts of Teacher or Medical Superintendent or Dean or Principal or Director or, as the case may be, which are required to be filled up as per the norms of the National Medical Commission in any Medical College/ Institution for imparting Graduate and Post-Graduate medical education shall be 70 years.
- 3.3 In the Departments of Anatomy, Physiology and Biochemistry, non-medical graduates having M.Sc. (relevant medical) and PhD qualifications, granted by the recognized Medical College/Institute as regular on campus course in the subject concerned, can be appointed as Assistant Professors. A non-medical person cannot be appointed as Dean or Director or Principal or Medical Superintendent or Head of the Department.

Provided that non-medical graduates appointed as Assistant Professors in the subjects of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology and Microbiology on the basis of MSc degree prior to the coming into force of Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institution Regulations, 1998 on 05.12.1998, shall be eligible to be considered as Assistant Professors. However, PhD degree in concerned medical subject is essential for promotion to higher teaching position. Such persons shall also be eligible after their retirement to serve as faculty on the same position from which they had retired until the permissible age for serving in a Medical College.

- 3.4 The appointing authority may consider certain equivalent postgraduate qualifications, which may be approved by the National Medical Commission from time to time, to be the requisite recognized qualification in the subject concerned.
- 3.5 In cases where candidates with requisite experience are not available, a reference may be made by the appointing authority to the National Medical Commission for consideration on merits.

- 3.6 The position of Dean/Director/Principal of Medical College/Institution should be held by a person possessing recognized postgraduate medical degree from a recognized institution with a minimum of ten years teaching experience as Professor/Associate Professor in a Medical College/Institution, out of which at least five years should be as Professor in the Department. Appointment to these posts shall be made on seniority-cum-merit basis. The Dean/Director/Principal of Medical Institution shall not hold the post of Head of the Department.
- 3.7 The Medical Superintendent of the affiliated teaching hospital shall possess a recognized postgraduate medical degree from a recognized Institution with a minimum of ten years teaching experience as Professor /Associate Professor in the relevant departments of the Hospital, out of which at least five years should be as Professor. Appointment to these posts shall be made on seniority-cum-merit basis. Medical Superintendent shall not occupy the position of the Head of the Department. However, he can head the unit.
- 3.8 The position of Dean/Director/Principal of Standalone Postgraduate Broad Specialty/Super Specialty Institution shall be held by a person possessing recognized postgraduate Degree from a recognized Institution with minimum of ten years teaching experience as Professor/Associate Professor, out of which, at least five years should be as Professor.
- 3.9 The Heads of the Departments of broad and super specialty courses shall possess a recognized Postgraduate broad specialty and super specialty degree, as the case may be, in the concerned specialty. This mandatory requirement is relaxed for five more years from the date of notification of this Regulation to all the Broad and Super Specialty courses which were started after 01 January, 2009.
- 3.10 Appointments to the administrative posts in Government Institutions including the in-charge arrangements, amongst eligible candidates, shall be on inter se vertical seniority based on date of entry into the Institution/Government Service.
- 3.11 The period spent by the teaching faculty towards acquisition of degree in Super Specialty subject on concurrent duties/deputation shall not be counted as teaching experience for fulfilling eligibility criteria for promotion in the concerned Super Specialty department.
- 3.12 For holders of MD PhD in Medical Subjects, the period spent during PhD shall be considered equivalent to Senior Residency period and they are eligible for direct appointment as Assistant Professors in the concerned subject.
- 3.13 A person with MSc (Health Statistics/Medical Statistics/Bio Statistics/Statistics) with PhD from a recognized University shall be appointed as Assistant Professor of Statistics in the department of Community Medicine.

4. Determination of equivalence of the qualification of DNB (Broad Specialties) with MD/MS and DNB (Super Specialties) with DM/MCh

The Diplomate of National Board (DNB) in broad specialty and super specialty qualifications when granted in a medical institution with attached hospital or in a hospital with the strength of five hundred or more beds, by the National Board of Examinations, shall be equivalent in all respects to the corresponding broad specialty (MD/MS) and super specialty (DM/MCh) postgraduate qualification, but in all other cases, senior residency in a medical college for an additional period of one year shall be required for such qualification to be equivalent for the purposes of teaching.

5. Eligibility for being designated as Postgraduate Guide

- 5.1 **Broad Specialties:** A teacher in a Medical College or Institution having a total of 5 years of teaching experience as Assistant Professor and above after obtaining post-graduate degree in the concerned broad specialty subject shall be recognized as Post Graduate Guide in that specialty, provided the department has been recognized/permitted for conducting Postgraduate course in that subject.
- 5.2 **Super Specialties:** A teacher in a Medical College or Institution having a total of 3 years of teaching experience as Assistant Professor and above after obtaining Super Specialty degree in the concerned super specialty subject, shall be recognized as Post Graduate Guide in that Super

Specialty subject, provided the department has been recognized/ permitted for conducting Super Specialty courses in that subject.

Further, in the case of broad specialty/super specialty courses which were newly instituted, relaxation of qualification and experience for recognition as Post Graduate Guide was granted for ten years from the date of start of the course by the erstwhile Medical Council of India (MCI). This relaxation ceases to exist to all the existing super specialty courses on the day they complete ten years from the date on which they were started by erstwhile Medical Council of India. However, this relaxation of qualification and experience during transition period shall be extended by five more years from the date of notification of this Regulation to all the broad/super specialty courses which were started after 01 January, 2009. This relaxation is not applicable to the courses instituted before 2009.

6. Norms for Faculty Appointment and Promotion

The norms for Faculty Appointment and Promotion shall be as follows:

Table 1A.Norms for Faculty Appointment and Promotion in Broad Specialties (MD/MS) which
are in existence for more than 10 years.

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience
Professor 8 year post PG experience	MD/MS/DNB in the concerned subject.	i. Associate Professor in the subject for three years in a permitted/ recognized medical college/ institution.
		 ii. Should have at least four Research publications (at least two as Associate Professor) [only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered].
		iii. Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC.
		iv. Should have completed the Basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC.
Associate Professor 5 years post PG experience	MD/MS/DNB in the concerned subject.	i. As Assistant Professor in the subject for four years in a permitted /recognized medical college/ institution.
		 ii. Should have at least <u>two</u> Research publications [only original papers, meta- analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered].
		iii. Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC.
		iv. Should have completed the basic course in

File No. A-45012/1/2025-MED-VI (Computer No. 1093197)

Generated from eOffice by SARIKA SARIKA, AD-MED6-SS, ASSISTANT DIRECTOR(MED6), Employees State Insurance Corporation (ESIC) on 10/02/2025 03:31 pm

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience	
		Biomedical Research from Institutions designated by NMC.	
Assistant Professor	MD/MS/DNB in the concerned subject.	One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/ permitted medical college after acquiring MD/MS Degree.	
Senior Resident (Medical Postgraduates)	Senior Resident is one who is doing his residency in the concerned department after obtaining Medical Postgraduate degree (MD/MS/DNB).		
Tutors (Non-Medical	Non-medical Postgraduates with MSc (Medical) degree shall be called Tutors in whichever departments they are working.		
Postgraduates)	The posts of Senior Resident and Tutor are tenure positions not exceeding 3 years. The graduate must be below 45 years of age at the time of initial appointment.		
	The posts of tenured Senior	Residents and Tutors are not faculty positions.	
	All other designations practiced earlier stands deleted.		
	However, existing Tutors/Demonstrators/Registrars appointed on permanent basis shall be renamed as Senior Residents and Tutors, as the case may be, and continue to work till superannuation.		
	The conditions mentioned above shall not be applicable to Senior Residents/Tutors/Demonstrators/Registrars who are appointed on permanent basis before the notification of these Regulations.		

Table 1B:Index of Broad Specialties in which Persons with non-Medical Qualifications may be
appointed as Faculty (Assistant Professor and beyond)

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification
1.	Anatomy	MSc (Medical Anatomy) with PhD Medical Anatomy
2.	Biochemistry	MSc (Medical Biochemistry) with PhD in Medical Biochemistry
3.	Physiology	MSc (Medical Physiology) with PhD in Medical Physiology

Table 1C.Norms for Faculty Appointment and Promotion in Broad Specialties (MD/MS)
wherein the Broad Specialty Course was established by erstwhile MCI and is
functional for less than Ten years and also for new Broad Specialty courses proposed
to be instituted by National Medical Commission.

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience
Professor	MD/MS/DNB in the concerned subject. OR <u>During Transition period</u> MD/MS/DNB in broad specialty subjects as provided in Table 4.A	 i. As Associate Professor for three years in the subjects as mentioned in Table 4.A in a permitted/ recognized/ medical college/ institution. ii. Special training for three years in the respective new broad specialty subject in a teaching Institution/Centre of Excellence with dedicated service in that specialty.

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience
		 iii. Should have at least four Research publications (at least two as Associate Professor) [only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered].
		iv. Should have completed the NMC recognized basic course in Medical Education Technology.
		v. Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institution(s) designated by NMC.
Associate Professor	MD/MS/DNB in the concerned subject OR	i. As Assistant Professor for four years in the subject as mentioned in Table 4.A in a permitted/recognized medical college/ institution.
	During Transition Period MD/MS/DNB in broad specialty as provided in Table 4.A .	ii. Special training for three years in the respective new broad specialty subject in a teaching Institution/Centre of Excellence with dedicated service in that specialty.
		 iii. Should have at least two Research publications [only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered].
		iv. Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC.
		v. Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC.
Assistant Professor	MD/MS/DNB in the concerned subject OR <u>During Transition period</u> MD/MS/DNB in Broad specialty as provided in Table 4.A	Special training for three years in the respective new broad specialty subject in a teaching Institution/Centre of Excellence with dedicated service in that specialty.
Senior Resident (Medical Postgraduates) Tutors	obtaining Medical Postgraduate de	MSc (Medical) degree shall be called Tutors in

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience	
(Non-Medical Postgraduates)	The posts of Senior Resident and Tutor are tenured positions not exceeding 3 years. The graduate must be below 45 years of age at the time of initial appointment.		
	The posts of tenured Senior Residents and Tutors are not faculty positions.		
	All other designations practiced earlier stands deleted.		
		nstrators/Registrars appointed on permanent basis ents and Tutors, as the case may be, and continue to	
		above shall not be applicable to Senior egistrars who are appointed on permanent basis gulations.	

Table 2.Norms for Faculty Appointment and Promotion in the Department of Dentistry in a
Medical College

Posts	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
Professor	MDS	i. Associate Professor in the subject for three years in a permitted/ recognized medical/dental college/institution
		 ii. Should have at least four Research publications (at least two as Associate Professor) [only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered].
		iii. Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC.
		iv. Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC.
Associate Professor	M.D.S.	i. As Assistant Professor in the subject for four years in a permitted/ recognized medical/ dental college/ institution.
		 Should have at least two Research publications [only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered].
		iii. Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC.
		iv. Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC.
Asst. Professor	M.D.S.	One year as Senior Resident/Registrar/Tutor in the concerned subject in a recognized/Permitted medical/dental college after acquiring MDS Degree.
Senior Resident	M.D.S.	Senior Resident is one who is doing his residency in Dentistry after obtaining MDS degree.
		The post of senior resident is a tenured position not exceeding

Posts	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
		3 years. The graduate must be below 45 years of age at the time of initial appointment

Table 3 A.Norms for Faculty Appointment and Promotion in Super Specialties (DM/MCh)
wherein the Super Specialty Course is established by erstwhile MCI and is
functioning for more than Ten years.

Posts	Academic Qualifications		Teaching and Research Experience
Professor	DM/MCh/DNB in the concerned subject	i.	Associate Professor in the subject for three years in a permitted/recognized medical college/institution.
		ii.	Should have at least four Research publications (at least two as Associate Professor) [only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered].
		iii.	Should have completed the NMC recognized basic course in Medical Education Technology.
		iv.	Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC.
Associate Professor	DM/MCh/ DNB in the concerned subject	i.	As Assistant Professor in the subject for two years in a permitted/recognized medical college/institution.
		ii.	Should have at least two Research publications [only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered].
		iii.	Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC.
		iv.	Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC.
Assistant Professor	DM/MCh/ DNB in the concerned subject		
Senior Resident (Super Specialties)	DM/MCh student shall be d	lesigna	ted as Senior Resident in the concerned subject.

Table 3 B.Norms for Faculty Appointment and Promotion in Super Specialties (DM/MCh)
wherein the Super Specialty Course is established by erstwhile MCI and is functional
for less than Ten years and also for new courses proposed to be started by National
Medical Commission.

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience
Professor	DM/MCh./DNB in the concerned subject OR	i. Associate Professor for three years in the subject as mentioned in Table 4.B in permitted/ recognized medical college institution.
	During Transition period MD/MS/DNB in the concerned Broad specialty subject as provided in Table 4.B.	 Special Training for three years in the respective new Super Specialty subject in a teaching Institution/Centre o Excellence with dedicated service in that specialty.
		 iii. Should have at least four Research publications (at least two as Associate Professor) [only original papers, meta analysis, systematic reviews, and case series that are published in journal included in Medline, PubMed, Centra Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus Directory of Open Access Journal (DoAJ) will be considered].
		iv. Should have completed the NMC recognized basic course in Medica Education Technology.
		v. Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institution designated by NMC.
Associate Professor	DM/MCh/ DNB in the concerned subject OR	i. As Assistant Professor for two years in the subject as mentioned in Table 4.B in a permitted/recognized medical college institution.
	During Transition period MD/MS/DNB in concerned Broad specialty subject as provided in Table 4.B	ii. Special Training for three years in respective new Super Specialty department in a teaching Institution/Centre of Excellence with dedicated service in that specialty.
		 iii. Should have at least two Research publications [only original papers, meta analysis, systematic reviews, and case series that are published in journal included in Medline, PubMed, Centra Science Citation Index, Science Citation Index, Science Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus Directory of Open Access Journal (DoAJ) will be considered].
		 iv. Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC.

Posts	Academic Qualifications	Teaching and Research Experience
		v. Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC.
Assistant Professor	DM/MCh/DNB in the concerned subject	Special Training for three years in the respective new Super Specialty subject in a
OR	5	teaching Institution/Centre of Excellence with dedicated service in that specialty
	During Transition period	
	MD/MS/DNB in the concerned Broad specialty subject as provided in Table 4.B.	
Senior	Registered to pursue DM/MCh in the	concerned subject.
Resident (Super OR		
(Super Specialties)	MD/MS/DNB qualified graduates in the concerned broad specialty. This post of second resident is a tenured position not exceeding 3 years. The graduate must be below years of age at the time of initial appointment.	

7. Appointment of Faculty during transition period

- 7.1 The academic qualification for any new broad specialty or super specialty shall be the one shown at the time of notifying the new specialty. Persons appointed on the basis of the entry level qualification shall be eligible for promotion to the higher posts.
- 7.2 Persons appointed as teaching faculty during the transition period shall be eligible for promotion to the post of Associate Professor/ Professor even after the transition period of ten years are over. Such person shall also be entitled to hold the teaching position held by him until the age of 70 years in the same or any other recognized Medical Institution.
- 7.3 In the case of Broad Specialty / Super Specialty courses which were newly instituted, relaxation of qualification and experience for appointment as faculty during transition period was granted for ten years from the date of start of the course by erstwhile Medical Council of India. This relaxation ceases to exist for all the existing Broad Specialty / Super Specialty courses on the day they completed ten years from the date on which they were started by erstwhile Medical Council of India.
- 7.4 This relaxation of qualification and experience during transition period mentioned in clause 7.3, shall be extended for five more years from the date of notification of this Regulation to all the Broad and super specialty courses which were started after 01 January, 2009. This relaxation is not applicable to the departments instituted before 2009.
- 8. Norms for Determination of Teaching Designations for Consultants/Specialists employed by Central Government or State Governments or Local Self-Government or Public Funded Institutions for establishing a Medical College/starting a Postgraduate course

8.1 **New Medical College:**

A non-teaching Consultant or Specialist, possessing postgraduate medical degree, working for at least two years in the concerned specialty in a minimum 330 bedded non-teaching Government Hospital shall be eligible to be designated as Assistant Professor and be absorbed permanently, if that Hospital is being converted into a Government Medical College for imparting undergraduate medical education. The subsequent promotions to higher teaching designations would be as per these regulations. Provided further that this would only be a one time provision and so absorbed teacher should not be transferred from that Institution for five years. The subsequent appointment of any faculty would be as per these regulations.

8.2 **Stand-alone Postgraduate medical institution:** Consultants or specialists having the required postgraduate degree and experience of working in the concerned specialty /super-specialty department for a period of not less than 2 years in the institution or hospital, not attached to any medical college, where postgraduate teaching is being imparted as per section 9.3 of the Postgraduate Medical Education Regulations, 2022, shall be eligible to be equated as an Assistant Professor in the department concerned. This has to be confirmed by the affiliating University. The subsequent promotions to higher teaching designations would be as per these regulations.

9. Norms for Determination of Teaching Designations for Consultants/Specialists in Medical Institutions of Defence Services

- 9.1 **Professor**: Specialist Medical Officers of the Armed Forces having minimum 8 years teaching experience after obtaining the requisite recognized postgraduate qualification in the subject, of which at least three years as Associate Professor in a teaching hospital of the Armed Forces, with two Research publications as per clause 6, can be considered eligible for appointment as Professor in the concerned subject.
- 9.2 **Associate Professor:** Specialist Medical Officer of the Armed Forces having minimum five years teaching experience after obtaining the requisite recognized postgraduate qualification in the subject, of which at least four years teaching experience as Assistant Professor in a teaching hospital of the Armed Forces, with two Research publication as per clause 6, can be considered eligible for appointment as Associate Professor in the concerned subject.
- 9.3 **Assistant Professor:** Specialist Medical Officers of the Armed Forces having minimum one year teaching experience after possessing requisite recognized post-graduate qualification in the subject, can be considered eligible for appointment as Assistant Professor in the concerned subject.

10. Visiting Faculty

With a view to enhance the comprehensiveness and quality of teaching of Postgraduate students in all the departments, Medical Colleges/ Institutions may appoint additional Faculty Members from abroad with equivalent qualifications as Visiting Faculty on part time basis. This International Visiting faculty shall be over and above the minimum faculty prescribed in the relevant "Minimum Requirements for Annual MBBS Admissions Regulations, 2020" and the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2022".

11. Index of Teaching Specialties.

- 11.1 The nomenclature of the specialties/subjects shall be the same as that contained in the Postgraduate Medical Education Regulations- 2022. Any addition/deletion of a new specialty in these Regulations shall reflect in the corresponding table of these Regulations.
- 11.2 The teaching specialties and prior qualification for appointment of Faculty with Medical qualifications in the department of a Medical Institution shall be as per Table 4.A for broad specialties and Table 4.B for Super Specialties.

I. List of Departments in Broad Specialty:

(A) Medical Specialties (MD)

Sl. No.	Broad Specialty		
01	Anatomy		
02	Anesthesiology		
03	Aerospace Medicine		
04	Biochemistry		
05	Community Medicine		
06	Dermatology, Venereology and Leprosy		

Sl. No. 07

08

09

10 11

12

13 14

15

16

17

Broad Specialty				
Emergency Medicine				
Family Medicine				
Forensic Medicine and Toxicology				
General Medicine				
Geriatrics				
Community Health Administration				
Hospital Administration				
Transfusion Medicine				
Master of Public Health (Epidemiology)				
Microbiology				
Marine Medicine				
Nuclear Medicine				
Pathology				

18	Nuclear Medicine
19	Pathology
20	Palliative Medicine
21	Paediatrics
22	Pharmacology
23	Physical Medicine and Rehabilitation
24	Physiology
25	Psychiatry
26	Radio-diagnosis
27	Respiratory Medicine
28	Radiation Oncology

(B) Surgical broad Specialties (MS)

Sl.No.	Broad Specialty		
1	Oto rhino laryngology-Head and Neck		
2	General Surgery		
3	Ophthalmology		
4	Orthopedics		
5	Obstetrics & Gynecology		
6	Traumatology and Surgery		

Table 4.A Broad Medical Specialties with academic qualifications

S.	Name of the	Academic	Method of recruitment	Academic Qualifications
No.	Specialty	Qualification		during Transition period
1.	Anatomy	MD/MS/DNB	As per section Table	Not applicable as ten years from

File No. A-45012/1/2025-MED-VI (Computer No. 1093197)

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of recruitment	Academic Qualifications during Transition period
		(Anatomy)	1A and Table 1B under section 6 in the subject of Anatomy	the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
2.	Anesthesia	MD/MS/DNB (Anesthesia)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Anaesthesia	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
3.	Aerospace Medicine	MD/DNB (Aviation Medicine)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Aerospace Medicine.	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
4.	Biochemistry	MD/DNB (Biochemistry)	As per section Table 1A and Table 1B under section 6 in the subject of Biochemistry	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
5.	Community Medicine	MD/DNB (Community Medicine)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI
		MD (Community Health Administration)	Community Medicine	is completed.
6.	Dermatology, Venereology and Leprosy	MD/DNB (DVL)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Dermatology, Venereology and Leprosy	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
7.	Emergency Medicine	MD/DNB (Emergency Medicine)	As per Table 1C under section 6 in the Subject of Emergency Medicine	 MD/MS/DNB 1. General Medicine 2. Anaesthesia 3. Respiratory Medicine 4. General Surgery 5. Orthopaedics Notification date: 21.07.2009. Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
8.	Family Medicine	MD/DNB (Family Medicine),	As per Table 1C under section 6 in the Subject of Family Medicine	MD/MS/DNB1. General Medicine2. Pediatrics3. Obstetrics & Gynaecology4. General Surgery

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of recruitment	Academic Qualifications during Transition period
				The relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
9.	Forensic Medicine and Toxicology	MD/DNB (Forensic Medicine & Toxicology)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Forensic Medicine & Toxicology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI completed.
10.	General Medicine	MD/DNB (General Medicine)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of General Medicine	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
11.	Geriatrics	MD/DNB	As per Table 1C	MD/DNB
		Geriatrics)	under section 6 in the Subject of Geriatrics	1. Family Medicine
				2. General Medicine
				The relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
12.	Community Health Administration	MD (Community Health Administration) MD (Community Medicine)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Community Health Administration	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
13.	Hospital Administration	MD (Hospital Administration)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Hospital Administration	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
14.	Transfusion Medicine	MD/DNB Transfusion Medicine	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Transfusion Medicine	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
15.	Master of Public	MPH (Master of	As per Table 1C under	MD/DNB
	Health	Public Health in Epidemiology)	section 6 in the Subject of Master of	Community Medicine
	(Epidemiology)		Public Health in	Notification date: 08.12.2010
			Epidemiology	Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
16.	Microbiology	MD/DNB (Microbiology)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Microbiology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
17.	Marine Medicine	MD (Marine	As per Table 1C under section 6 in the	MD/DNB

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of recruitment	Academic Qualifications during Transition period
		Medicine)	Subject of Marine Medicine	 Physiology General Medicine Notification date: 06.05.2017. Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
18.	Nuclear Medicine	MD/DNB (Nuclear Medicine)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Nuclear Medicine	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
19.	Pathology	MD/DNB (Pathology)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Pathology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
20.	Palliative Medicine	MD/DNB (Palliative Medicine)	As per Table 1C under section 6 in the Subject of Palliative Medicine	MD/DNB Anesthesiology Notification date: 21.07.2009. Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
21.	Pediatrics	MD/DNB (Pediatrics)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Paediatrics	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
22.	Pharmacology	MD/DNB (Pharmacology)/ MBBS with Ph.D. (Med. Pharmacology)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Pharmacology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
23.	Physical Medicine and Rehabilitation	MD/DNB (Physical Medicine and Rehabilitation)	As per Table 1C under section 6 in the Subject of Physical Medicine and Rehabilitation	 MS/MD/DNB 1. Medicine with Diploma in PMR 2. General Surgery 3. Orthopedics. The relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
24.	Physiology	MD/DNB (Physiology)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Physiology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
25.	Psychiatry	MD/DNB (Psychiatry)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Psychiatry	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of recruitment	Academic Qualifications during Transition period
				is completed.
26.	Radio-Diagnosis	MD/DNB (Radio- Diagnosis)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Radio- Diagnosis	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
27.	Respiratory Medicine	MD/DNB (Respiratory Medicine)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Respiratory Medicine	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
28.	Radiation Oncology	MD/DNB (Radiation Oncology)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Radiation Oncology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
29.	Dentistry	MDS	As per Table 2 under section 6 in the Subject of Dentistry	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.

Table 4.A	Surgical Broad Specialties with Academic qualifications:
-----------	--

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of recruitment	Academic Qualifications during Transition period
1	Oto-rhino- laryngology- Head and Neck	MS/DNB (Oto-Rhino- Laryngology)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Oto- Rhino-Laryngology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
2	General Surgery	MS/DNB (General Surgery)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of General Surgery.	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
3	Ophthalmology	MS/MD/DNB (Ophthalmology)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Ophthalmology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
4	Orthopedics	MS/DNB (Orthopedics)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Orthopaedics	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
5	Obstetrics and Gynecology	MD/MS/DNB(Obstetrics & Gynecology)	As per Table 1A under section 6 in the Subject of Obstetrics and Gynaecology	Not Applicable Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
6	Traumatology and Surgery	MS/DNB (Traumatology and Surgery)	As per Table 1C under section 6 in the Subject of Traumatology and Surgery	MD/MS/DNB 1. General Surgery 2. Orthopaedics Notification

41

File No. A-45012/1/2025-MED-VI (Computer No. 1093197)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of recruitment	Academic Qualifications during Transition period
				No.MCI.18(1)/2010- Med./45048 dated 08.12.2010 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.

II. List of Departments in Super Specialty:

(A) Medical Super Specialty Departments (DM)

S. No.	Name of the Specialty
1.	Cardiology
2.	Cardiac Anesthesia
3.	Clinical Immunology and Rheumatology
4.	Clinical Hematology
5.	Critical Care Medicine
6.	Endocrinology
7.	Hepatology
8.	Interventional Radiology
9.	Medical Gastroenterology
10.	Medical Genetics
11.	Medical Oncology
12.	Neonatology
13.	Nephrology
14.	Neuro-anesthesia
15.	Neurology
16.	Pediatric Cardiology
17.	Pediatric Gastroenterology
18.	Pediatric Neurology
19.	Pediatric Oncology
20.	Pediatric Hepatology
21.	Pediatric Nephrology
22.	Pediatric and Neonatal Anesthesia
23.	Pulmonary Medicine
24.	Virology

(B) Surgical Super Specialty Departments (MCh)

S. No.	Name of the Specialty	
1	Cardiac Surgery	
2	Gynecological Oncology	
3	Hepato-Pancreato-Biliary Surgery	

S. No.	Name of the Specialty		
4	Head and Neck Surgery		
5	Neuro-Surgery		
6	Pediatric Surgery		
7	Pediatric Cardiothoracic and Vascular Surgery		
8	Plastic & Reconstructive Surgery		
9	Surgical Oncology		
10	Surgical Gastroenterology		
11	Thoracic Surgery		
12	Urology		
13	Vascular Surgery		

Table 4.B	Medical Super S	Specialties with A	Academic qualifications:
-----------	-----------------	--------------------	--------------------------

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of Recruitment	Academic Qualifications during Transition period
1	Cardiology	DM/DNB (Cardiology)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Cardiology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
2	Cardiac Anesthesia	DM/DNB (Cardiac Anesthesiology)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Cardiac Anaesthesia	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
3	Clinical Immunology and Rheumatology	DM in Clinical Immunology and Rheumatology	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Clinical Immunology and Rheumatology	 MD/DNB General Medicine Pediatrics The relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
4	Clinical Haematology	DM/DNB (Clinical Haematology	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Clinical Haematology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
5	Critical Care Medicine	DM/DNB (Critical Care Medicine)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Critical care Medicine	 MD/DNB 1. Anaesthesiology 2. General Medicine 3. Respiratory Medicine 4. Emergency Medicine 5. DM in Pulmonary Medicine Notification No.MCI.18(1)/2010- Med./45048 dated 08.12.2010 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification

File No. A-45012/1/2025-MED-VI (Computer No. 1093197)

Generated from eOffice by SARIKA SARIKA, AD-MED6-SS, ASSISTANT DIRECTOR(MED6), Employees State Insurance Corporation (ESIC) on 10/02/2025 03:31 pm

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of Recruitment	Academic Qualifications during Transition period
				of these Regulations.
6	Endocrinology	DM/DNB (Endocrinology)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Endocrinology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
7	Hepatology	DM (Hepatology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Hepatology	DM/DNB1. Gastroenterology2. General MedicineThe relaxation is extendedby five years from the dateof the notification of theseRegulations.
8	Interventional Radiology	DM (Interventional Radiology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Interventional Radiology	MD/DNB Radio Diagnosis The relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
9	Medical Gastroenterology	DM/DNB (Gastroenterology)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Gastroenterology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
10	Medical Genetics	DM/DNB (Medical Genetics)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Medical Genetics	MD/DNB 1.General Medicine 2.Paediatrics 3.Obstetrics and Gynaecology The relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
11	Medical Oncology	DM/DNB (Medical Oncology)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Medical Oncology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
12	Neonatology	DM/DNB (Neonatology)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Neonatology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
13	Nephrology	DM/DNB (Nephrology)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Nephrology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
14	Neuro-anesthesia	DM/DNB (Neuro-anesthesia)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Neuro-anesthesia	MD/DNB Anaesthesia Notification No.MCI.18(1)/2010- Med./45048 dated 08.12.2010

S.

No.

15

16

17

Name of the

Specialty

Neurology

Pediatric

Pediatric

Gastroenterology

Cardiology

Academic Qualification	Method of Recruitment	Academic Qualifications during Transition period
		Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
DM/DNB (Neurology)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Neurology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
DM/DNB (Pediatric Cardiology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Paediatric Cardiology	MD/DNB Paediatrics Notification date:21.07.2009 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
DM (Pediatric Gastroenterology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Paediatric Gastroenterology	MD/DNB Paediatrics Notification date: 21.07.2009 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
DM/DNB (Pediatric Neurology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Pediatric	MD/DNB Paediatrics Notification date: 21.07.2009

				the date of the notification of these Regulations
18	Pediatric Neurology	DM/DNB (Pediatric Neurology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Pediatric Neurology	MD/DNB Paediatrics Notification date: 21.07.2009 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
19	Pediatric Oncology	DM (Pediatric Oncology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Paediatric Oncology	MD/DNB Paediatrics Notification date: 08.12.2010 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
20	Pediatric Hepatology	DM/DNB (Pediatric Hepatology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Paediatric Hepatology	MD/DNB Paediatrics Notification date: 09.12.2009 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
21	Pediatric Nephrology	DM (Pediatric Nephrology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Paediatric Nephrology	MD/DNB Paediatrics Notification no: MCI.18(1)/2010-Med/45048 dated: 08.12.2010 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of Recruitment	Academic Qualifications during Transition period
				of these Regulations
22	Pediatric and Neonatal Anesthesia	DM in Pediatric and Neonatal Anesthesia	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Paediatric and Neonatal Anaesthesia	MD/DNB in Anesthesia Notification date: 24.04.2012 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
23	Pulmonary Medicine	DM/DNB (Pulmonary Medicine)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Pulmonary Medicine	MD/DNB 1. Respiratory Medicine 2.General Medicine 3.Paediatrics Notification date: 21.07.2009 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
24	Virology	DM (Virology).	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Virology.	MD/DNB Microbiology Notification No.MCI.18(1)/2010- Med./45048 dated 08.12.2010 Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations

Table 4.B Surgical Super Specialty with Academic qualifications:

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of Recruitment	Academic Qualifications during Transition period
1	Cardiac Surgery	M.Ch/DNB (Cardio Surgery)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Cardio Vascular and Thoracic Surgery	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
2	Gynecological Oncology	M.Ch/DNB (Gynecological Oncology)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Gynaecological Oncology	MD/MS/DNB Obstetrics and Gynaecology. The relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations
3	Hepato-Pancreato- Biliary Surgery	M.Ch. (HPB Surgery).	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Hepato-Pancreato-	 MCh/DNB Surgical Gastroenterology MS / DNB General

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of Recruitment	Academic Qualifications during Transition period
			Biliary Surgery	Surgery
				Notification date:
				09.12.2009
				Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
4	Head and Neck	M.Ch/DNB	As per Table 3B	MS/DNB
	Surgery	(Head and Neck	under section 6 in	1.General Surgery
		Surgery)	the Subject of of Head and Neck	2. Otorhinolaryngology
			Surgery	Notification date:
				21.02.2012
				Hence the relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
5	Neuro-Surgery	M.Ch/DNB	As per Table 3A	Not applicable as ten years
		(Neuro Surgery)	under section 6 in the Subject of	from the date of notification to start the course from
			Neuro-Surgery	erstwhile MCI is completed.
6	Pediatric Surgery	M.Ch/DNB	As per Table 3A	Not applicable as ten years
		(Paediatric Surgery)	under section 6 in	from the date of notification
			the Subject of Paediatric Surgery	to start the course from erstwhile MCI is completed.
7	Pediatric	M.Ch/DNB Pediatric	As per Table 3B	1. MCh/DNB
	Cardiothoracic and	Cardiothoracic and	under section 6 in	Cardiovascular Surgery
	Vascular Surgery	Vascular Surgery	the Subject of Paediatric	2. MS/DNB in General Surgery.
			Cardiothoracic and Vascular Surgery	Notification date: 21.07.2009
				Not applicable as ten years
				from the date of notification
				to start the course from erstwhile MCI is completed.
8	Plastic &	M.Ch/DNB (Plastic &	As per Table 3A	Not applicable as ten years
-	Reconstructive	Reconstructive	under section 6 in	from the date of notification
	Surgery	Surgery)	the Subject of	to start the course from
			Plastic &	erstwhile MCI is completed.
			Reconstructive Surgery	
9	Surgical Oncology	M.Ch./DNB (Surgical	As per Table 3A	Not applicable as ten years
		Oncology)	under section 6 in	from the date of notification
			the Subject of Surgical Oncology	to start the course from erstwhile MCI is completed.
10	Surgical	M.Ch/DNB	As per Table 3A	Not applicable as ten years
	Gastroenterology	(Surgical	under section 6 in	from the date of notification
		Gastroenterology)	the Subject of	to start the course from
			Surgical Gastro	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Method of Recruitment	Academic Qualifications during Transition period
			Enterology	erstwhile MCI is completed.
11	Thoracic Surgery	M.Ch (Thoracic Surgery)	As per Table 3B under section 6 in the Subject of Thoracic Surgery	 1.MCh/DNB Cardiothoracic Surgery 2. MS/DNB in General Surgery The relaxation is extended by five years from the date of the notification of these Regulations.
12	Urology	M.Ch/DNB (Urology)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Urology	Not applicable as ten years from the date of notification to start the course from erstwhile MCI is completed.
13	Vascular Surgery	M.Ch./DNB (Vascular Surgery)	As per Table 3A under section 6 in the Subject of Vascular Surgery	Notificationdate:06.10.200106.10.2001Not applicable as ten yearsfrom the date of notificationto start the course fromerstwhile MCI is completed.

12. General Norms regarding Foreign Postgraduate Qualifications for Equivalence

12.1 In the case of a person with Postgraduate medical qualifications awarded in United Kingdom, United States of America, Canada, Australia and New Zealand, his qualifications can be considered as equivalent qualifications with MD/MS/DM/MCh, as the case may be, if he fulfils the following criteria in those countries.

United Kingdom: He should have completed Certificate of Completion of Specialist Training (CCST) or equivalent training with final FRCS/FRCP degree and registered in that country to practice in that specialty.

United States of America and Canada: He should have MD qualification with Residency Training Certificate in the relevant specialty in USA. For Super specialties, successful completion of Residency Training Programme along with completion of accredited Fellowship programme in the relevant super specialty is essential.

Australia and New Zealand: He should have completed supervised training programme culminating in the Fellowship of the respective Specialty (FRACS/FRACP). For Super Specialties, minimum two years of supervised sub specialty Fellowship programme in the respective Sub Specialty is essential.

- 12.2 He should have done his complete duration of training in those countries and be registered there to practice in that specialty.
- 12.3 In such cases he will be eligible for the post of Assistant Professor in the respective department and his subsequent promotions would be as per Teachers "Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations 2022".
- 12.4 Other qualifications will be evaluated by the NMC as and when reference is received.

13. Appeal

A teacher may apply to the National Medical Commission through the concerned Head of the Institution and University for determination of his eligibility for a teaching position in a Medical Institution in the case of ambiguity and controversy.

14. Saving Clause

Notwithstanding anything contained in these Regulations, any appointment made under the Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institution Regulations, 1998 or the recommendation of the Councils prior to that, shall be protected.

15. Provision to amend the Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations - 2022

National Medical Commission is empowered to make any addition, deletion, substitution or any other amendment to "Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations – 2022", as and when required.

16. Repeal: The "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institution Regulations, 1998" is hereby repealed.

Dr. SANDHYA BHULLAR, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./657/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.